

#### असाधारण १

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937 No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/PHALGUNA 21, 1937

# सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016

सा. का. नि. 294(अ). — केंद्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पूर्ववर्ती उद्योग मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के भर्ती नियमावली, 1998 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व की गयी बातों अथवा विलोपित की जाने वाली बातों के सिवाय, एतद्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात आयोग कहा गया है) में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- **1**. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. —(1) इन नियमों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना. —ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान. —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ.** —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएँ और उनसे संबन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।
- 5. **आरंभिक गठन**. —(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारी और कर्मचारी अर्थात संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक, उप निदेशक, सिविल इंजीनियर, विरष्ठ हिन्दी अधिकारी, सहायक निदेशक, विरष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, विरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, अर्थ अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, विधि अधिकारी, अधीक्षक, केयर टेकर, आशुलिपिक (चयन ग्रेड), आशुलिपिक-।, विरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, उप-संपादक, फोटोग्राफर, पुस्तकालय अध्यक्ष, मुद्रण प्रबन्धक, विरिष्ठ कलाकार,

1228 GI/2016 (1)

व्याख्याता, लेखाकार, विकास अधिकारी, अर्थ अन्वेषक, विधि सहायक, किनष्ठ हिन्दी अनुवादक, किनष्ठ उप-संपादक, कलाकार, सहायक व्याख्याता, लेखा परीक्षक-I, लेखा परीक्षक-II, सहायक विकास अधिकारी, प्रवर श्रेणी लिपिक, मुख्य रसोइया, आशुलिपिक-II, पर्यवेक्षक-III, प्रबंधक, अवर श्रेणी लिपिक, चालक, रसोइया, पुस्तकालय सहायक, कारीगर, सहायक हलवाई, कूपन लिपिक, सहायक प्रबंधक, हलवाई, टी मेकर, बैरा, एमटीएस इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को उन पदों के तत्स्थानी पदों पर सम्यक रूप से नियुक्ति किए गए समझे जाएंगे जिन्हें वे उस तारीख को नियमित आधार पर धारण कर रहे थे।

- (2) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता जिन्हें आरंभिक गठन पर नियुक्त किया गया है, उनकी अपनी-अपने श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार, इस शर्त के अधीन रखते हुए, अवधारित की जाएंगी कि उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में उनकी परस्पर ज्येष्ठता पर कोई व्यवधान न डाला जाए।
- (3) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की, इन नियमों के अधीन आरंभिक गठन पर उनकी नियुक्ति से पूर्व की नियमित निरंतर सेवा को, परिवीक्षा अवधि , प्रोन्नति, पृष्टि और पेंशन के लिए अर्हता सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।
- **6. सम्पूर्ण भारत में सेवा करने का दायित्व.** —इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होगा।
- 7. प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व. (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरदायी होगा और भारत में ऐसे प्रशिक्षण के अनुक्रमों में भेजा जा सकेगा, जो आयोग समय-समय पर विनिश्चित करे।
- (2) ऐसे प्रशिक्षण या अनुक्रम के लिए, जिसकी अवधि छह माह या अधिक है, भेजा गया कोई व्यक्ति जिसे भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति, प्रशिक्षण के दौरान की अवधि को ध्यान में लाए बिना, यदि किसी कारणवश, प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के समापन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के दौरान वह अपनी सेवा को छोड़ने का विकल्प देता है, तो वह प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय या खर्च वापस करने के लिए दायी होगा।
- 8. निरर्हता. —कोई व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।
- 9. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो काम उन्हें लेखबद्ध करने, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश शिथिल कर सकेगी।
- 10. व्यावृत्ति. —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अननुसचिवीय	पे-बैंड-4 (रु. 37400- 67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8900	चयन

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)
50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/
50 वर्ष सं अधिक नहीं (सरकारी कमेचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)  नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	प्रौद्योगिकी स्नातक; या  (iii) सनदी लेखाकार;या  (iiii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय सेकिसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या  (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और  (v)संबद्ध क्षेत्र में बीस वर्ष का अनुभव।  नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
	आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले, श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध	प्रोम्नति: उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड- पे रु. 8700 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा,	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति सिमिति  1. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष;  2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे -सदस्य  3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग -संयोजक;	लागू नहीं होता

के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेत् अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
- (ii) **जिन्होंने** पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8700 के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-3
   (रु. 15600-39100) एवं
   ग्रेड-पे रु. 7600 के पद पर छ:
   वर्ष की नियमित सेवा की हो;
   अथवा
- (iv) **जिन्होंने** पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600 के पद पर दस वर्ष की

- 4. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - सदस्य:
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी -सदस्य।

नियमित सेवा की हो; और
(ख) जो सीधी भर्ती के लिए
स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक
अर्हताएँ रखते हों।
नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि
(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत
उसी या किसी अन्य संगठन में
इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
भी शामिल है, साधारणतया
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56  वर्ष से
अधिक नहीं होगी।
नोट 2: ऐसे विभागीय
अधिकारी जो प्रोन्निति की सीधी
पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे।
नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे।

1 .	ाद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड- पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
क	(1) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(2)  8*(2016)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अननुसचिवीय	(4) पे-बैंड-4 (रु. 37400- 67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8700	(5) चयन	(6)  50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय,	

	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को	का अनुभव।  नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब
	जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा	नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब
	जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी     परिवीक्षा       भर्ती के     की       लए विहित     अविध,       आयु और     यदि कोई       शैक्षिक     हो       अर्हताएँ     प्रोन्नति के       मामले में     लागू होंगी	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)     (9)       लागू नहीं     सीधी       होता     भर्ती के       लिए एक     वर्ष	(10)  (i) प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर  (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर  (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए	(11) प्रोन्नितः निदेशकके संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 7600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नित के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च	(12) पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार-अध्यक्ष; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-	(13) लागू नहीं होता

बाहर रहने के कारण हुई
रिक्तियों को केंद्रीय
सरकार/ राज्य
सरकार/सांविधिक
प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी
निकायों के ऐसे
अधिकारियों में से
प्रतिनियुक्ति के आधार
पर भरी जा सकेंगी।

ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अविध संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी) : केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ;या
- (ii) **जिन्होंने** वेतन बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रु. 7600 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3(रु. 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रु. 6600 में पद पर 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने वेतन बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु. 5400 में पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति

- 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,खा. ग्रा. आ.संयोजक ;
- वित्तीय सलाहकार,
   खा. ग्रा. आ. सदस्य;
   भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के

दो अधिकारी- सदस्य।

	(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	
	होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	निदेशक	44*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क',अननुसचिवीय	पे-बैंड (रु. 15600- 39100) एवं ग्रेड- पे रु. 7600	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या (ii) सनदी लेखाकार; या (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और (v) संबद्ध क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए

			आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		इन नियमों के अधीन	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
		शामिल किसी पद पर इन	वाले उन समुदायों के
		नियमों की अधिसूचना से	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	उपलब्ध होने की संभावना
		आयोग में नियुक्त थे।	नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोक्कति: उप-निदेशक के संबन्धित ग्रेड में पे- बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड- पे रु. 6600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति सिमिति  1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो निदेशक के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कम नहीं होगा-सदस्य; 5. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागृ किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): सरकार/राज्य सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ;या (ii) जिन्होंने पे- बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे- बैंड-3(रु. 15600-39100) या पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो: (iv) जिन्होंने पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड- पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	उप निदेशक	43*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क',अननुसचिवीय	पीबी-3 (रु. 15600- 39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या (iii) सनदी लेखाकार;या (iiii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और (v) संबद्ध क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

	C C	<i>x c c c c c c c c c c</i>	, , , , , ,		· · · · ·
क्या सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति: सीधी	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
भर्ती के	की	भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां,	समिति है, तो उसकी	किन परिस्थितियों
लिए विहित	अवधि,	आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	संरचना	पारास्थातया में संघ लोक
आयु और	यदि कोई	भरी जाने वाली रिक्तियों	आमेलन किया जाएगा		म तय लाक सेवा आयोग
शक्षिक शक्षिक	हो	का प्रतिशत			से परामर्श
अर्हताएँ		W 2000 W			किया जाएगा
प्रोन्नति के					,
मामले में					
लागू होंगी					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी	(i) प्रोन्नति द्वारा;	प्रोन्नति:	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं
होता	भर्ती एवं	जिसके न होने पर	सहायक निदेशक ग्रेड-I की	लिए समूह 'क' विभागीय	होता
	प्रोन्नति के	(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा,	पारस्परिक वरिष्ठता में संबन्धित	प्रोन्नति समिति	
	लिए दो वर्ष	इसमें अल्पकालिक	ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-	1. मुख्य कार्यकारी	
	পপ	संविदा भी शामिल है;	34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में	अधिकारी, खादी और	
		जिसके न होने पर	पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	ग्रामोद्योग आयोग	
		(iii) सीधी भर्ती द्वारा	<b>नोट 1</b> : जहां पर ऐसे कनिष्ठ,	- अध्यक्ष;	
		<b>नोट</b> :पदधारी के	जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता	2. वित्तीय सलाहकार,	
		प्रतिनियुक्ति पर	सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर	खादी और ग्रामोद्योग	
		स्थानांतरित या लंबी	विचार किया जा रहा हो, उनके	आयोग	
		बीमारी या अध्ययन छुट्टी	वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए	- सदस्य;	
		या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन	विचार किया जाएगा बशर्ते कि	] 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम	
		पारास्थातया क अधान एक वर्ष या उससे अधिक	उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा,	उद्यम मंत्रालय के	
		अवधि के लिए बाहर	अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के	अधिकारी, जो निदेशक के	
		रहने के कारण हुई	आधे से अधिक या दो वर्ष से कम	स्तर से कम नहीं होंगे	
		रिक्तियों को केंद्रीय	न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले	-सदस्य;	
		सरकार/ राज्य सरकार/	उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों	, i	
		सांविधिक प्राधिकरणों/	के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि	4. दो अधिकारी जिनका	
		स्वायत्तशासी निकायों के	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो,	स्तर निदेशक से कम नहीं	
		ऐसे अधिकारियों में से	जि <b>न्होंने</b> ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा	होगा - सदस्य; और	
		प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी  जा सकेंगी।	पहले ही पूरी कर ली है ।	5. संयुक्त मुख्य कार्यकारी	
		नरा आ सकगा।	नोट 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम	अधिकारी, खादी और	
			पात्रता सेवा की संगणना के	ग्रामोद्योग आयोग	
			प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी	-संयोजक	
			द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात		
			उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय		
			वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के		
			अनुसार संशोधित वेतनमान लागू		
			किया गया था, के पहले की गयी		
			नियमित सेवा के बारे में यह माना		
			जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर		
			आयागका सिक्षारिशा के आधारे पर लागू किए गए अनुरूप		
			वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में		
			की गयी है।		
			नम गया हा		

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या (ii) **जिन्होंने** पे-बैंड-3(रु. 15600-39100) या पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) **जिन्होंने** पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

		<del></del>		2 8:	Ι	-A-A	+0.0 ·+ +
क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड,	चयन या	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य
तख्या	गाम	तख्या		ग्रेड-पे या	गैर-	ालए जायु सामा	अर्हताएँ
				वेतनमान	चयन		36413
					पद		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	सहायक	114*(2016)	सामान्य	पे-बैंड-2	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं:
3.	निदेशक		केंद्रीय			(सरकारी कर्मचारियों के लिए	(1) खादी:
	ग्रेड-I	*(संवर्ग-वार	सेवा	(रु.		40 वर्ष तक शिथिलनीय।	(i) किसी मान्यताप्राप्त
	,	आवंटन:	समूह 'ख'	9300-		खादी और ग्रामोद्योग आयोग के	विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी
		खादी-07,	तकनीकी	34800)		कर्मचारियों के लिए कोई आयु	स्नातक/टेक्सटाइल अभियांत्रिकी
		ग्रामोद्योग-		एवं ग्रेड-		सीमा नहीं)	अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी
		37,		पे रु.		नोट 1: आयु सीमा अवधारित	अथवा फैशन प्रौद्योगिकी में
		प्रशिक्षण-5,		5400		करने के लिए निर्णायक तारीख	स्नातक; और
		वित्त, बजट,				भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का
		लेखा परीक्षा				प्राप्त करने के लिए नियत की	अनुभव।
		और लेखा-				गयी अंतिम तारीख होगी।	(2) ग्रामोद्योग:
		32, प्रशासन				(असम, मेघालय, अरुणाचल	(i) किसी मान्यताप्राप्त
		और मानव				प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी
		संसाधन-				नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक;
		24,अर्थ				जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	अथवा
		अनुसंधान-08				खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल	किसी मान्यता प्राप्त
		और विधिक-				और स्पीति जिले और चंबा जिले	विश्वविद्यालय से विज्ञान
		01.				के पांगी उपखंड, अंडमान और	स्नातकोत्तर;अथवा
		कार्यभार के				निकोबार द्वीप समूह तथा	किसी मान्यता प्राप्त
		आधार पर				लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के	विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
		परिवर्तन किया जा				अभ्यर्थियों के लिए विहित की	के साथ व्यवसाय प्रशासन में
		किया जा सकता है)				ग्यी अंतिम तारीख को छोड़कर)	स्नातकोत्तर;और
		सकताह)				नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी	(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का
						और ग्रामोद्योग आयोग के केवल	अनुभव।
						उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल	(3)प्रशिक्षण:
						किसी पद पर इन नियमों की	(i) किसी मान्यताप्राप्त
						अधिसूचना से पूर्व खादी और	विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी
						ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक;
							अथवा
							किसी मान्यता प्राप्त
							विश्वविद्यालय से विज्ञान
							स्नातकोत्तर; अथवा
							किसी मान्यता प्राप्त
							विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
							के साथ व्यवसाय प्रशासन में
							स्नातकोत्तर; और
							(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का
							अनुभव।
							वांछनीय:
							खादी और ग्रामोद्योग आयोग के
							किसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्र
							से कम से कम तीन माह की

	3-10	
	अवधि का प्रमाणपत्र प	
	(4) वित्त, बजट, लेख	ा पराक्षा
	और लेखा:	
	(i) सनदी लेखाकार; या	
	(ii) किसी मान्य	ता प्राप्त
	विश्वविद्यालय से	व्यवसाय
	प्रशासन (वित्त) में स्ना	ातकोत्तर;
	या	
	(iii) किसी मान्य	ता प्राप्त
		वाणिज्य
	स्नातकोत्तर; या	
		2
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन	वष का
	अनुभव।	
	(5) प्रशासन और संसाधन:	मानव
	(i) किसी मान्यत	
	विश्वविद्यालय से कि	
	विषय में मास्टर डिग्री;	
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच	वर्ष का
	अनुभव।	
	(6) अर्थ अनुसंधान:	
	(i) किसी मार्	न्यताप्राप्त
		अर्थशास्त्र/
	सांख्यिकी/वाणिज्य में	
	डिग्री (सांख्यिकी और	
	एक विषय के रूप	में होने
	चाहिए)और; और	
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन	वर्ष का
	अनुभव।	
	(7) विधिक:	
	(i) किसी मान्यत	ता प्राप्त
	विश्वविद्यालय से	विधि
	स्नातकोत्तर; और	
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन	वर्षका
	अनुभव; या	
	(i) किसी मा	
	विश्वविद्यालय से विशि	धेस्नातक
	;और	
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच	वर्ष का
	अनुभव।	
	<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ,	अन्यथा
	सुअर्हित अभ्यर्थियों व	
	में सक्षम प्राधिक	
	विवेकानुसार शिथिल	
	सकती है।	

16		THE GAZETT	E OF INDIA : EXTRAORDINAR	Y [PART I	I—SEC. 3(i)]
क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	नोट 2: अनुभव (अर्हताएँ) सक्षम विवेकानुसार जातियों और जनजातियों के मामले में तब कि सकती है, जब कि प्रक्रम पर सक्षम यह राय है वि आरक्षित रिक्तिय के पर्याप्त संख्या के पर्याप्त संख्या के संभावना नहीं यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	प्राधिकारी के अनुसूचित अनुसूचित अभ्यर्थियों के शेथिल की जा वयन के किसी प्राधिकारी की उनके लिए ों को भरने के अनुभव रखने ों के अभ्यर्थियों ों उपलब्ध होने
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	संवर्ग-वार: खादी, ग्रामोद्योग, अर्थ अनुसंधान, प्रशिक्षण, वित्त, बजट, लेखा परीक्षा, लेखा; तथा प्रशासन और मानव संसाधन: (i) 50% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा;	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, अर्थ अनुसंधान और विधि: सहायक निदेशक ग्रेड-॥ में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग- अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी	लागू नहीं होता

रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के

लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि

उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा,

अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के

आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न

हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च

ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के

साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो,

जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम

पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन

के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01

पहले ही पूरी कर ली है ।

और ग्रामोद्योग आयोग

3. सूक्ष्म, लघु और

मध्यम उद्यम मंत्रालय

के अधिकारी, जो अवर

सचिव के स्तर से कम

जिनका स्तर उप-

निदेशक से कम नहीं

5. निदेशक (प्रशासन

और मानव संसाधन)

होगा- सदस्य; और

दो अधिकारी

नहीं होंगे-सदस्य ;

- सदस्य

जिसके न होने पर

इसमें

विधि:

द्वारा।

नोटः

शत-प्रतिशत

प्रतिनियुक्ति

(क) प्रतिनियुक्ति द्वारा,

संविदा भी शामिल है;

(ख) सीधी भर्ती द्वारा

पदधारी

स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी

किन्हीं

जिसके न होने पर

अल्पकालिक

प्रोन्नति

के

पर

अन्य

परिस्थितियों के अधीन
एक वर्ष या उससे
अधिक अवधि के लिए
बाहर रहने के कारण हुई
रिक्तियों को केंद्रीय
सरकार/राज्य सरकार/
सांविधिक प्राधिकरणों/
स्वायत्तशासी निकायों के
ऐसे अधिकारियों में से
प्रतिनियुक्ति के आधार
पर भरी जा सकेंगी।

जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ;अथवा
- (ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (iii) **जिन्होंने** पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (iv) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।
- नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

				1.17	2 -11 1	म् नान गहा हाना	
क्रम संख्या	पद का नाम (1) सहायक निदेशक ग्रेड-II	(2) 207*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-29, ग्रामोद्योग- 151, अर्थ अनुसंधान-25 और विधि- 02. कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	वर्गीकरण (3) सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान (4) पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 4600	चयन या गैर- चयन पद (5) चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा  (6)  30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ  (7)  संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं: (1) खादी: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्रातक/टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में स्नातक; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव (2) ग्रामोद्योगः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक; प्रौद्योगिकी स्नातक; प्रौद्योगिकी स्नातक; प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; या
						गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	स्नातकोत्तर;और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव (3) अर्थ अनुसंधान: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य (सांख्यिकी और अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में होना चाहिए) में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। (4) विधि: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि;और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

				<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ, अन्यथा
				सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
				विवेकानुसार शिथिल की जा
				सकती है।
				<b>नोट</b> 2: अनुभव संबंधी अर्हता
				(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
				विवेकानुसार अनुसूचित
				जातियों और अनुसूचित
				जनजातियों के अभ्यर्थियों के
				मामले में तब शिथिल की जा
				सकती है, जब चयन के किसी
				प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
				यह राय है कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों को भरने के
				लिए अपेक्षित अनुभव रखने
				वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
				के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
				की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और *प्रोन्नित के मामले में दो वर्षः *केवल खादी और ग्रामोद्योग कैडर के लिए लागूः	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलत है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी और ग्रामोद्योग: कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-वैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अविध	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति सिमिति  1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग- अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;	लागू नहीं होता

सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) **जिन्होंने** पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद परदस वर्ष की नियमित सेवा की हो:और
- (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

- 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-। से कम नहीं होगा- सदस्य; और
- 5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

		11					
क्रम संख्या	पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान (4)	चयन या गैर- चयन पद (5)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा (6)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ (7)
7.	वरिष्ठ कार्यकारी	230* (2016) *(संवर्ग- वार आवंटन: प्रशिक्षण- 20; वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा- 64; प्रशासन और मानव संसाधन- 98; अर्थ अनुसंधान- 40 और विधि-08. कार्यभार पर परवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' तकनीकी	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक ती गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं: (1) प्रशिक्षणः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर;और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्र से कम से कम तीन माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। (2) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखाः (i) सनदी लेखाकार; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। (3) प्रशासन और मानव संसाधनः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर;
							डिग्री अथवा समकक्ष; और

		(ii) संबद्ध क्षेत्र में एक वर्ष का
		अनुभव।
		(4) अर्थ अनुसंधान:
		(i) किसी मान्यताप्राप्त
		विश्वविद्यालय से
		अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य
		(एक विषय के रूप में सांख्यिकी
		और अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर
		जार अवशास्त्र <i>)</i> म स्नासकार । डिग्री।
		(5) विधिक:
		` '
		विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।
		<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ, अन्यथा
		सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
		में सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार शिथिल की जा
		सकती है।
		<b>नोट</b> 2: अनुभव संबंधी अर्हता
		(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार अनुसूचित
		जातियों और अनुसूचित
		जनजातियों के अभ्यर्थियों के
		मामले में तब शिथिल की जा
		सकती है, जब चयन के किसी
		प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
		यह राय है कि उनके लिए
		आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		लिए अपेक्षित अनुभव रखने
		वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों
		के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
		की संभावना नहीं है।
 		` ` `

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
लागू होंगी					,
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी	संवर्ग-वार:	प्रोन्नति (संवर्ग-वार):	पुष्टि पर विचार करने	लागू नहीं
होता	भर्ती और	प्रशिक्षण; और वित्त,	प्रशिक्षण; और वित्त, बजट, लेखा	के लिए समूह 'ख'	होता
	प्रोन्नति के	बजट, लेखा परीक्षा और	परीक्षा और लेखा:	विभागीय प्रोन्नति	
	मामले में दो वर्षः	   लेखा; तथा प्रशासन और	कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में	समिति	
	६। १४।	मानव संसाधन:	पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं	1. संयुक्त मुख्य	
			ग्रेड-पे रु. 2800 में छ: वर्ष की	कार्यकारी अधिकारी,	
		   (i) शत-प्रतिशत प्रोन्नति	नियमित सेवा की हो।	खादी और ग्रामोद्योग	

द्वारा: जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियक्ति द्वारा, इसमें लघ अवधि संविदा भी सम्मिलित जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा अर्थ अनसंधान और विधि: शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। नोट:पदधारी के प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन वर्ष या उससे एक अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई केंद्रीय रिक्तियों को सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रशासन और मानव संसाधन: किनष्ट कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।

नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ट, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, उनके विष्ठ पर भी प्रोन्नित के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित हेतु अपने किनष्टों के साथ-साथ परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद परछ: वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पदपर दस वर्ष की नियमित सेवा की

आयोग- अध्यक्ष:

- निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग- सदस्य;
- 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;
- 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-। से कम नहीं होगा- सदस्य; और
- निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

	हो;और	
	(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)	
	में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	
	नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी	
	या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति	
-	से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग	
5	बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
5	भी शामिल है, साधारणतया तीन  वर्ष	
-	से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति	
	(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	
3	होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से	
3	अधिक नहीं होगी।	
	नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
7	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
7	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
f	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
ĺ	किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	कार्यकारी	479*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-89, ग्रामोद्योग- 272, प्रशिक्षण-38; और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा-80। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' तकनीकी	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु. 2800	चयन	18 से 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 33 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं: (1) खादी: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ टेक्सटाइल अभियांत्रिकी अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी अथवा फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातक। (2) ग्रामोद्योग: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर;या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर;या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर। (3) प्रशिक्षण: (i) किसी मान्यताप्राप्त

गयी अंतिम तारीख को	विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी
गया आतम ताराख का छोड़कर)	
खाइकर) <b>नोट 2</b> : आयु छूट का लाभ	स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक;या
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के	किसी मान्यता प्राप्त
केवल उन्हीं कर्मचारियों को	विश्वविद्यालय से विज्ञान
मिलेगा जो इन नियमों के	स्नातकोत्तर;या
अधीन शामिल किसी पद पर	किसी मान्यता प्राप्त
इन नियमों की अधिसूचना से	विश्वविद्यालय से विज्ञान
पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	स्नातक के साथ व्यवसाय
आयोग में नियुक्त थे।	प्रशासन में स्नातकोत्तर।
	वांछनीय: खादी और ग्रामोद्योग आयोग
	के किसी विभागीय प्रशिक्षण
	केंद्र से कम से कम तीन माह
	की अवधि का प्रमाणपत्र
	पाठ्यक्रम।
	(4) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा
	और लेखा:
	(i) किसी मान्यता प्राप्त
	विश्वविद्यालय से वाणिज्य
	स्नातक; और
	(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का
	अनुभव। वांछनीय:
	किसी मान्यता प्राप्त
	विश्वविद्यालय से सनदी
	लेखाकार /लागत और प्रबंधन लेखाकार/व्यवसाय
	प्रशासन(वित्त) में स्नातकोत्तर/
	वाणिज्य स्नातकोत्तर।
	नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
	सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
	में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा
	ाववकानुसार ।शायल का जा सकती है।
	नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता
	(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
	विवेकानसार अनसचित
	जातियों और अनुसूचित
	जनजातियों के अभ्यर्थियों के
	मामले में तब शिथिल की जा
	सकती है, जब चयन के किसी
	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
	यह राय है कि उनके लिए
	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
	वाले उन समुदायों के
	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
	उपलब्ध होने की संभावना नहीं
	है।

क्या सीधी परिवीक्षा भर्ती के की लिए विहित अवधि, आयु और यदि कोई शैक्षिक हो अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं सीधी होता भर्ती के मामले में दो वर्ष।	संवर्ग-वारः खादी और ग्रामोद्योगः (i) 85% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 15% प्रोन्नित द्वारा जिसके न होने पर (अ)प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (ब)सीधी भर्ती द्वारा प्रशिक्षणः (i) 60% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 40% प्रोन्नित द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (अ)प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (ब)सीधी भर्ती द्वारा वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखाः (i) प्रोन्नित द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है;	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा: किनष्ठ कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रशिक्षण: सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे- बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अन्रूप	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खा. ग्रा. आ सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-। से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की पर स्थानांतरित या लंबी गयी है। बीमारी या अध्ययन छुट्टी प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि किन्हीं संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): परिस्थितियों के अधीन केंद्रीय सरकार/राज्य वर्ष या उससे एक सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी अधिक अवधि के लिए निकायों के ऐसे अधिकारी; बाहर रहने के कारण हुई (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ पद धारण किए हुए हों; या राज्य सरकार/सांविधिक (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी 20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद के ऐसे निकायों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की से अधिकारियों प्रतिनियक्ति के आधार हो: या पर भरी जा सकेंगी। (ii) **जिन्होंने** पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	कनिष्ठ कार्यकारी	414*(2016)	सामान्य केंद्रीय	पे-बैंड-1	अचयन	18 से 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं: (1) खादी:

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार

किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

T T					
	*(संवर्ग-वार	सेवा	(रु.	तक शिथिलनीय। खादी और	(i) किसी मान्यताप्राप्त
	आवंटन:	समूह 'ग'	5200-	ग्रामोद्योग आयोग के	विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान
	खादी-16;	तकनीकी	20200)	कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	सेवस्त्र अभियांत्रिकी या वस्त्र
	ग्रामोद्योग-		एवं ग्रेड-	` '	प्रौद्योगिकी या फैशन
	51;वित्त,		पे रु	नोट 1: आयु सीमा अवधारित	प्रौद्योगिकी या हथकरघा
	बजट, लेखा		2400	करने के लिए निर्णायक	प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
	परीक्षा और		2400	तारीख भारत में अभ्यर्थियों	(2) ग्रामोद्योगः
	पराक्षा   आर   लेखा-76तथा			से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख	(i) किसी मान्यताप्राप्त
	प्रशासन और				विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान
	मानव			होगी। (असम, मेघालय,	सेअभियांत्रिकी में डिप्लोमा या
	संसाधन-			अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	विज्ञान स्नातक।
	271।			मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	(3) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा
	कार्यभार के			सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	और लेखा:
	आधार पर			े के लद्दाख खंड, हिमाचल	(i) किसी मान्यता प्राप्त
	परिवर्तन			प्रदेश के लाहौल और स्पीति	विश्वविद्यालय से वाणिज्य
	किया जा			जिले और चंबा जिले के पांगी	स्नातक।
	सकता है)			उपखंड, अंडमान और	वांछनीय:
				्रिपखंड, अडमान आर निकोबार द्वीप समूह तथा	किसी मान्यता प्राप्त
				ानकाबार द्वाप समूह तथा   लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के	विश्वविद्यालय से सनदी लेखाकार /लागत और प्रबंधन
				अभ्यर्थियों के लिए विहित की	लेखाकार /लागत आर प्रबंधन   लेखाकार/व्यवसाय
				गयी अंतिम तारीख को	प्रशासन(वित्त) में स्नातकोत्तर/
				छोड़कर)	त्रशासन(।वत्त) म स्नातकात्तर/   वाणिज्य स्नातकोत्तर।
				नोट 2: आयु छूट का लाभ	(4) प्रशासन और मानव
				खादी और ग्रामोद्योग आयोग	(4) प्रशासन आर मानव   संसाधन:
				के केवल उन्हीं कर्मचारियों	(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त
				को मिलेगा जो इन नियमों के	
				अधीन शामिल किसी पद पर	विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर
				इन नियमों की अधिसूचना से	डिग्री या समकक्ष; या
				पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	(ii) किसी मान्यता प्राप्त
				आयोग में नियुक्त थे।	विश्वविद्यालय की डिग्री या
					समकक्ष;और
					(ब) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का
					अनुभव।
					नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
					सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
					में सक्षम प्राधिकारी के
					विवेकानुसार शिथिल की जा
					सकती है।
					नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता
					(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
					विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
					जातियो और अनुसूचित
					जनजातियों के अभ्यर्थियों के
					मामले में तब शिथिल की जा
					सकती है, जब चयन के किसी
					प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
					यह राय है कि उनके लिए
					आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने
					ालए अपाक्षत अनुभव रखन   वाले    उन    समुदायों    के
					पाल उन समुदाया क

			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
			उपलब्ध होने की संभावना नहीं
			है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलनद्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	संवर्ग-वारः खादी और ग्रामोद्योगः (i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा; शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्रशासन और मानव संसाधनः (i) 50% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, तथा प्रशासन और मानव संसाधन: सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पेवेंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पेरु. 1900 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आनुसार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग- सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-। से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या (i) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100)एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	

क्रम	पद का	पदों की	वर्गीकरण	पे-बैंड,	चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के	सीधी भर्ती के लिए
संख्या	नाम	संख्या		ग्रेड-पे या	या	लिए आयु सीमा	अपेक्षितशैक्षिक और अन्य
				वेतनमान	गैर-		अर्हताएँ
					चयन		
					पद		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	सहायक	214*(2016)	सामान्य	पे-बैंड-1	लागू	18 से 27 वर्ष (सरकारी	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं:
		*(संवर्ग-वार	केंद्रीय	(হ.	नहीं	कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष	(1) खादी:
		् आवंटन:	सेवा			तक शिथिलनीय। खादी और	किसी मान्यताप्राप्त
			समूह 'ग'	5200-		ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों	विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से
		खादी-15;	तकनीकी	20200)		के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	टेक्सटाइल अभियांत्रिकी या
		ग्रामोद्योग-		एवं ग्रेड-		नोट 1: आयु सीमा अवधारित	टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या
		58;		पे <b>रु</b> .		करने के लिए निर्णायक तारीख	फैशन प्रौद्योगिकी या हेंडलूम
		प्रशिक्षण-18;		1900		भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। (2) ग्रामोद्योग:

किया जा सकता है)  जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के जिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)  नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधीय वादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।  जीसत 5 की डिप्रेशन के आधार पर 10500/9000 की डिप्रेशन के आधार पर 10500/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा (केडीपीएच) के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट निमनट)  नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा	तथा प्रशासन और मानव संसाधन-173 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	विद्यालय/बोर्ड/संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक। (3) प्रशिक्षण:
विवकानुसार शार्थल का जा	किया जा	जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और	विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक। (4) प्रशासन और मानव संसाधन: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गित। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 की डिप्रेशन के आधार पर 10500/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा (केडीपीएच) के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट) नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के

क्या सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति:	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
भर्ती के लिए	की अवधि,	सीधी भर्ती	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे	समिति है, तो उसकी	किन
विहित आयु	यदि कोई	याप्रोन्नतिद्वारा या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	संरचना	परिस्थितियों
और शैक्षिक	हो	आमेलन द्वारा और	किया जाएगा		में संघ लोक
अर्हताएँ		विभिन्न पद्धतियों	,		सेवा आयोग
प्रोन्नति के		द्वारा भरी जाने			से परामर्श
मामले में		वाली रिक्तियों का			किया
लागू होंगी		प्रतिशत			जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती	संवर्ग-वार:	प्रोन्नति (संवर्ग-वार):	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं
होता	के मामले में	खादी,ग्रामोद्योग	प्रशासन और मानव संसाधन:	लिए समूह 'ग'	होता
	दो वर्ष।	और प्रशिक्षण:	कॉलम 10 में निर्धारित अनुसार।	विभागीय प्रोन्नति	
	दो वर्ष।	और प्रशिक्षण: शत-प्रतिशत सीधी	कॉलम 10 में निधीरित अनुसार। 	विभागीय प्रोन्नति समिति	
	दो वर्ष।		कॉलम 10 में निधीरित अनुसार।	समिति	
	दो वर्ष।	शत-प्रतिशत सीधी	कॉलम 10 में निधीरित अनुसार।	समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी	
	दो वर्ष।	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कॉलम 10 में निधीरित अनुसार।	समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और	
	दो वर्ष।	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्रशासन और	कॉलम 10 में निधीरित अनुसार।	समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी	

		1
भर्ती द्वारा;	2. निदेशक (संबंधित	
(ii) 10% रिक्तियाँ	संवर्ग प्रभारी), खादी	
उन एमटीएस	और ग्रामोद्योग आयोग	
ु । अन एमटाएस कर्मचारियों में से		
	-सदस्य;	
भरी जाएंगी 12वीं	3. दो अधिकारी जिनका	
कक्षा उत्तीर्ण या	स्तर सहायक निदेशक	
उसके समकक्ष	ग्रेड-। से कम नहीं होगा	
अर्हता रखते हैं और		
विभागीय अर्हता	- सदस्य; और	
परीक्षा के आधार	4. निदेशक (प्रशासन	
पर ग्रेड में तीन	और मानव संसाधन)	
वर्ष की नियमित	खादी और ग्रामोद्योग	
सेवा की है।	आयोग -संयोजक	
परीक्षा की पात्रता	जायाग -सयाजक	
के लिए अधिकतम		
आयु-सीमा 45		
वर्ष है (अनुसूचित		
जाति, अनुसूचित		
जन जाति के लिए		
आयु सीमा 50		
वर्ष है)		
<b>नोट</b> : यदि खंड (ii)		
के अधीन उपलब्ध		
रिक्तियों की संख्या		
से कर्मचारियों की		
संख्या अधिक है,		
ऐसे आधिक्य		
कर्मचारियों के नाम		
पर बाद के वर्षों में		
उत्पन्न रिक्तियों को		
भरने के लिए		
विचार किया		
जाएगा ताकि पूर्व		
में सम्पन्न परीक्षा में		
उत्तीर्ण कर्मचारियों		
के नाम पर उन		
कर्मचारियों से		
पहले विचार किया		
जा सके <b>जिन्होंने</b>		
बाद में परीक्षा		
उत्तीर्ण की है।		
और		
(iii) 5% रिक्तियाँ		
उन एमटीएस कर्मचारियों में से		
वरिष्ठता-सह-		
फिटनेस आधार पर		
भरी जाएगी,		
जिन्होंने तीन वर्ष		

					नियमित सेवा							
	1				कर ली हो।							
क्रम संख्या	पद नाम	का	पदों संख्या	की	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उ के लिए आयु सीमा	म्मीदवारों	सीधी भर्ती अपेक्षितशैक्षिक अर्हताएँ	_	लिए अन्य
	(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7	)	
11.	एमटीए (मल्टी टास्किं स्टाफ)	ग	183*(20 *(कार्यभा आधार परिवर्तन किया सकता है	र के पर जा	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुनसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु. 1800	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष कर्मचारियों के लिए तक शिथिलनीयां ग्रामोद्योग आयं कर्मचारियों के जि आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु अवधारित करने निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवं करने के लिए नियल अंतिम तारीख होगें मेघालय, अरुणाच मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर राज्य खंड, हिमाचल लाहौल और स्पी और चंबा जिले उपखंड, अंडमा निकोबार द्वीप स लक्षद्वीप संघ राज्य अभ्यर्थियों के लि की गयी अंतिम त छोड़कर) नोट 2: आयु छूट खादी और ग्रामोद्ये के केवल उन्हीं क को मिलेगा जो इन अधीन शामिल किर इन नियमों की अधि पूर्व खादी और आयोग में नियुक्त थे आयोग में नियुक्त थे आयोग में नियुक्त थे आयोग में नियुक्त थे	ए 40 वर्ष खादी और के लिए कोई मिंग के लिए कोई के लिए प्राप्त तकी गयी है के लदाख के लदाख के लदाख के लदाख के प्राप्त की प्रवेश के लदाख के प्रवेश के	मैट्रिक या समक संबद्ध विषय प्रशिक्षण (आईआईटी) से <b>नोट 1:</b> अर्हत सुअर्हित अभ्य मामले में सक्षम विवेकानुसार ि सकती हैं।	में औद्यों संस् उत्तीर्ण। गाएँ, अन् र्थियों प्राधिकार	गिक थान यथा के री के

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-। से कम नहीं होगा-सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	स्टाफ कार चालक	60*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुनसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु.	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	(i) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस ; (ii) मोटर मशीनीकरण की जानकारी (उम्मीदवार को मोटर कार मरम्मत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए)

	1900	करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(iii) मोटर कार चलाने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव। (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय: होम गार्ड/सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के सभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	------	---	--

भर्ती के लिए विहित आयु	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
लागू होंगी		प्रतिशत			जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य;	लागू नहीं होता

		3. दो अधिकारी जिनका
		स्तर सहायक निदेशक
		ग्रेड-l से कम नहीं होगा-
		सदस्य; और
		4. निदेशक (प्रशासन
		और मानव संसाधन)
		खादी और ग्रामोद्योग
		आयोग-संयोजक

	•	•					
क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	उप निदेशक (राजभाषा)	01*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अननुसचिवीय	पे-बैंड-3 (रु. 15600- 39100) एवं ग्रेड- पे रु. 6600	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयरहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का

	•				
				को मिलेगा जो इन नियमों	किसी मान्यता प्राप्त
				के अधीन शामिल किसी	विश्वविद्यालय से हिन्दी या
				पद पर इन नियमों की	अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य
				अधिसूचना से पूर्व खादी	विषय में स्नातकोत्तर उपाधि,
				और ग्रामोद्योग आयोग में	· ·
					जिसके साथ डिग्री स्तर पर
				नियुक्त थे।	हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या
					वैकल्पिक विषय के रूप में रहे
					हों या दोनों में से कोई एक
					परीक्षा का माध्यम रहा हो
					और दूसरा अनिवार्य या
					वैकल्पिक विषय के रूप में रहा
					हो; और
					*
					केंद्रीय/राज्य सरकारों/
					स्वायत्तशासी निकायों/
					सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक
					क्षेत्र के उपक्रमों/
					विश्वविद्यालयों या मान्यता
					प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक
					संस्थानों में, हिन्दी में
					शब्दावली के प्रयोग या लागू
					करने (शब्दावली कार्य) और
					अंग्रेजी से हिन्दी में या
					विलोमत: अनुवाद कार्य में,
					विशेषकर तकनीकी या
					वैज्ञानिक साहित्य में पाँच वर्ष
					का अनुभव, या
					केंद्रीय/राज्य सरकारों/
					स्वायत्तशासी निकायों/
					सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक
					क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों
					या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या
					शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और
					अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी
					और अंग्रेजी में अनुसंधान में
					पांच वर्ष का अनुभव।
					वांछनीय:
					संविधान की आठवीं अनुसूची में
					शामिल हिंदी के अतिरिक्त
					किसी अन्य भाषा का किसी
					मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के
					स्तर तक अध्ययन किया हो।
					नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
					सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
					में सक्षम प्राधिकारी के
					विवेकानुसार शिथिल की जा
					सकती है।
					नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता
					(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
					विवेकानुसार अनुसूचित
					जातियों और अनुसूचित
					जनजातियों के अभ्यर्थियों के
 I.	<u> </u>	1	ı		

			मामले में तब शिथिल की जा
			सकती है, जब चयन के किसी
			प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
			यह राय है कि उनके लिए
			आरक्षित रिक्तियों को भरने के
			लिए अपेक्षित अनुभव रखने
			वाले उन समुदायों के
			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
			उपलब्ध होने की संभावना नहीं
			र्ल⊡

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता	दो वर्ष	(i) संयुक्त पद्धति द्वाराः प्रतिनियुक्ति(इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)/प्रोन्नति (यदि सहायक निदेशक (राजभाषा) के फीडर संवर्ग में पद सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा भरा गया हो); जिसके न होने पर (ii) सीधी भर्ती द्वारा। नोटः पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रतिनियुक्ति,जिसमें लघु अवधि संविदा (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक निकायों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) या पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (v) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (v) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति सिमिति  1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर निदेशक से कम नहीं होगा-सदस्य; और 5. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

	1	T	
		(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)	
		में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	
		<b>नोट 1</b> : पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800)	
		एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में कार्यरत	
		विभागीय अधिकारी नामत: सहायक	
		निदेशक (राजभाषा), <b>जिन्होंने</b> उस	
		ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा	
		पूर्ण कर ली हो, के नाम पर भी बाहरी	
		्र - उम्मीदवारों के साथ विचार किया	
		जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के	
		लिए उनका चयन हो जाता है तो पद	
		को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना	
		जाएगा।	
		नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
		(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी	
		या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति	
		से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
		संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
		अवधि भी शामिल है, साधारणतया	
		तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
		नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा	
		आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख	
		को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
		प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
		प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
		प्रातानयुक्ति पर ।नयुक्ति के ।लए   विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
		<b>नोट 3</b> : इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
		प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
		किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
1	1	I .	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 5400	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयरहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में

लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. मणिपुर, मिजोरम. नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समृह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का खादी लाभ ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर नियमों इन अधिसचना से पर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।

स्नातकोत्तर उपाधि जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो: या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो: या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो: और केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्तशासी निकायों/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में, हिन्दी में शब्दावली के प्रयोग या लाग करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमत: अनुवाद कार्य में, विशेषकर तकनीकी वैज्ञानिक साहित्य में तीन वर्ष का अनुभव; या

		केंद्रीय/राज्य सरकारों/
		स्वायत्तशासी निकायों/
		सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक
		क्षेत्र के उपक्रमों/
		विश्वविद्यालयों या मान्यता
		प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक
		संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी
		में शिक्षण या हिन्दी और
		अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन
		वर्ष का अनुभव।
		वांछनीय:
		संविधान की आठवीं अनुसूची
		में शामिल हिंदी के अतिरिक्त
		किसी अन्य भाषा का किसी
		मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के
		स्तर तक अध्ययन किया हो।
		नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
		सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
		में सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार शिथिल की जा
		सकती है।
		नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता
		(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार अनुसूचित
		जातियों और अनुसूचित
		जनजातियों के अभ्यर्थियों के
		मामले में तब शिथिल की जा
		सकती है, जब चयन के किसी
		प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
		यह राय है कि उनके लिए
		आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		लिए अपेक्षित अनुभव रखने
		वाले उन समुदायों के
		अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		उपलब्ध होने की संभावना
		नहीं है।
		161 61

क्र	ग सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति:	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
	र्ती के लिए	की	सीधी भर्ती	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति	समिति है, तो उसकी	किन
वि	हित आयु	अवधि,	याप्रोन्नतिद्वारा या	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	। संरचना	परिस्थितियों
औ	र शैक्षिक	यदि कोई	आमेलन द्वारा और			में संघ लोक
अ	ईताएँ	हो	विभिन्न पद्धतियों			सेवा आयोग
प्रो	न्नति के	<i>Q.</i>	द्वारा भरी जाने			से परामर्श
मा	मले में		वाली रिक्तियों का			किया
ला	गू होंगी		प्रतिशत			जाएगा
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ला	गू नहीं	सीधी	(i) प्रोन्नति द्वारा;	प्रोन्नति:	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं
हो	ता	भर्ती के	जिसके न होने पर	वरिष्ठ अनुवादक के रूप में संबन्धित ग्रेड में	लिए समूह 'ख'	होता
		लिए दो	(ii) प्रतिनियुक्ति	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे	विभागीय प्रोन्नति	
		वर्ष	द्वारा, इसमें लघु	रु. 4200 में आठ वर्ष की नियमित सेवा	समिति	

अवधि संविदा भी सम्मिलित है: जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा **नोट**:पदधारी के प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक के लिए अवधि बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/ स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

की हो।

नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ट, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके विरष्ट पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्टों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रशिक्षण, वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा तथा प्रशासन और मानव संसाधन: उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ संबंधित संवर्ग के रु. 4200 ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-2 में (रु. 9300-34800) में कार्यरत वरिष्ठ कार्यकारी।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी):

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक निकायों/स्वायत्त सेवी निकायों के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या
- (ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर दस वर्ष

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष:
- उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य;
- 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;
- 4. दो अधिकारी जिनका स्तर उप निदेशक से कम नहीं होगा- सदस्य; और
- 5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

	की नियमित सेवा की हो; और	
	(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में	
	विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	
	नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या	
	किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक	
	पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद	
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है,	
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा	
	आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को	
	56  वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति	
	पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
	पात्र नहीं होंगे।	
	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए	
	जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	वरिष्ठ अनुवादक	03*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड,	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या

वैकल्पिक विषय के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ रहा हो या परीक्षा का राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या लिए विहित की गयी किसी मान्यता अंतिम तारीख को छोड़कर) विश्वविद्यालय से हिन्दी या नोट 2: आयु छूट का लाभ अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी खादी और ग्रामोद्योग माध्यम से किसी अन्य विषय आयोग के केवल उन्हीं में स्नातकोत्तर उपाधि, कर्मचारियों को मिलेगा जो जिसके साथ डिग्री स्तर पर इन नियमों के अधीन हिन्दी एक अनिवार्य या शामिल किसी पद पर इन वैकल्पिक विषय के रूप में नियमों की अधिसचना से रहा हो या परीक्षा का पूर्व खादी और ग्रामोद्योग माध्यम हिन्दी रहा हो: या आयोग में नियुक्त थे। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दुसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम सहित, में हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमत: अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है. जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए

			आरक्षित रिक्तियों को भरने
			के लिए अपेक्षित अनुभव
			रखने वाले उन समुदायों के
			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या
			में उपलब्ध होने की
			संभावना नहीं है।

				सभावना नहीं	है।
क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोक्षतिः विरेष्ठ अनुवादक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किमष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति  1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;  2. उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग-सदस्य;  3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;  4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और  5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

Г	1	C 3	
		गयी है।	
		प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि	
		संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/	
		केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी	
		निकायों के ऐसे अधिकारी;	
		(क) (i) जो नियमित आधार पर	
		सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या	
		(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-	
		20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में	
		पद पर छ: वर्ष की नियमित सेवा की	
		हो; या	
		(iii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. रु. 5200-	
		20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में	
		पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की	
		हो; और	
		(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)	
		में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	
		नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
		(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी	
		या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति	
		से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
		संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
		अवधि भी शामिल है, साधारणतया	
		तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
		नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख	
		को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
		नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
		प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
		प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
		विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
		नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
		प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
		किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	कनिष्ठ अनुवादक	12*(2016) *(कार्यभार के आधार	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके

		T		
	पर	34800)	ग्रामोद्योग आयोग के	साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी
	परिवर्तन	एवं ग्रेड-	कर्मचारियों के लिए कोई	एक अनिवार्य या वैकल्पिक
	किया जा	पे रु.	आयु सीमा नहीं)	विषयरहा हो या परीक्षा का
	सकता है)		नोट 1: आयु सीमा	माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या
	,	4200	अवधारित करने के लिए	किसी मान्यताप्राप्त
			निर्णायक तारीख भारत में	विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में
			अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके
			करने के लिए नियत की	साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी
			गयी अंतिम तारीख होगी।	एक अनिवार्य या वैकल्पिक
			(असम, मेघालय,	विषय रहा हो या परीक्षा का
			•	* *
			अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	माध्यम हिन्दी रहा हो; या
			मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	किसी मान्यता प्राप्त
			सिक्किम, जम्मू-कश्मीर	विश्वविद्यालय से हिन्दी या
			राज्य के लद्दाख खंड,	अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय
			हिमाचल प्रदेश के लाहौल	में स्नातकोत्तर उपाधि,
			और स्पीति जिले और चंबा	म स्नातकातर उपाव, जिसके साथ डिग्री स्तर पर
			जिले के पांगी उपखंड,	अंग्रेजी एक अनिवार्य या
			अंडमान और निकोबार द्वीप	वैकल्पिक विषय के रूप में
			समूह तथा लक्षद्वीप संघ	रहा हो या परीक्षा का
			राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के	माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या
			लिए विहित की गयी	किसी मान्यता प्राप्त
			अंतिम तारीख को छोड़कर)	विश्वविद्यालय से हिन्दी या
			नोट 2: आयु छूट का लाभ	अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी
			खादी और ग्रामोद्योग	माध्यम से किसी अन्य विषय
			आयोग के केवल उन्हीं	
			कर्मचारियों को मिलेगा जो	में स्नातकोत्तर उपाधि,
			इन नियमों के अधीन	जिसके साथ डिग्री स्तर पर
			शामिल किसी पद पर इन	हिन्दी एक अनिवार्य या
			नियमों की अधिसूचना से	वैकल्पिक विषय के रूप में
			पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	रहा हो या परीक्षा का
			पूर्व खादा आर ग्रामाद्याग आयोग में नियुक्त थे।	माध्यम हिन्दी रहा हो; या
			जायागं म ।मयुक्तया	
				,,,
				विश्वविद्यालय से हिन्दी या
				अंग्रेजी के अलावा किसी
				अन्य विषय में स्नातकोत्तर
				उपाधि, जिसके साथ डिग्री
				स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी
				अनिवार्य या वैकल्पिक
				विषय के रूप में रहे हों या
				दोनों में से कोई एक परीक्षा
				का माध्यम रहा हो और
				दूसरा अनिवार्य या
				वैकल्पिक विषय के रूप में
				रहा हो; और
				(ii) हिंदी से अंग्रेजी और
				विलोमत: अनुवाद में
				मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या
				सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय
				अथवा राज्य सरकार, भारत
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>

 1	1	1	T
			सरकार के उपक्रम सहित, में
			हिंदी से अंग्रेजी एवं
			विलोमत: अनुवाद कार्य में
			तीन वर्ष का अनुभव।
			<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ, अन्यथा
			सुअर्हित अभ्यर्थियों के
			मामले में सक्षम प्राधिकारी
			के विवेकानुसार शिथिल की
			जा सकती है।
			<b>नोट</b> 2: अनुभव संबंधी
			अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम
			प्राधिकारी के विवेकानुसार
			अनुसूचित जातियों और
			अनुसूचित जनजातियों के
			अभ्यर्थियों के मामले में तब
			शिथिल की जा सकती है,
			जब चयन के किसी प्रक्रम पर
			सक्षम प्राधिकारी की यह
			राय है कि उनके लिए
			आरक्षित रिक्तियों को भरने
			के लिए अपेक्षित अनुभव
			रखने वाले उन समुदायों के
			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या
			में उपलब्ध होने की
			संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता		शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग -अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग -सदस्य; ग्रामोद्योग -सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	लागू नहीं होता

		के अधिकारी, जो उप-	
		सचिव के स्तर से कम	
		नहीं होंगे -सदस्य ;	
		4. दो अधिकारी	
		जिनका स्तर सहायक	
		निदेशक ग्रेड-1 से कम	
		नहीं होगा- सदस्य; और	
		5. निदेशक (प्रशासन	
		और मानव संसाधन),	
		खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग -संयोजक	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	निजी सचिव	03*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 4600	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य के त्रें के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक; (iii) कौशल परीक्षा मानदंड: (क)श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी): 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 40 मिनट अथवा हिंदी में 55 मिनट;और (iii) आशुलिपि और कंप्यूटर प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के

		इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
			नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोम्नति: वैयक्तिक सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ट, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्निति ते. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - अध्यक्ष; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उपसिचव के स्तर से कम नहीं होंगे -सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और व. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग -संयोजक	लागू नहीं होता

\_\_\_\_\_\_ आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो नियमित आधार पर सद्श्य पद धारण किए हुए हों ; या (ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु 2400 में पद पर बारह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	वैयक्तिक सहायक	22*(2016)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'अनुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)  नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड: (क) श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी): 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 40 मिनट अथवा हिंदी में 55 मिनट;और (iii) आशुलिपि और कंप्यूटर प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के सभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8) लागू नहीं होता	वो वर्ष	(10) (i) प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलत हैं; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोक्तिः आशुलिपिक ग्रेड- घ के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ट, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्टों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क)(і) जो नियमित आधार पर सदृश्य	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उपसिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

पद धारण किए हुए हों ; या	
(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200)	
एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर छ:	
वर्ष की नियमित सेवा की हो; या	
(iii) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-1(रु. 5200-	
20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में	
पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की	
हो; और	
(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)	
में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	
नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी	
या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति	
से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
अवधि भी शामिल है, साधारणतया	
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
नियुक्ति के लिए अधिकतम् आयु सीमा	
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख	
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
ाकए जान क पात्र नहा हागा	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	आशुलिपिक श्रेणी-घ	48*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु. 2400	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निया होगी। (असम, मेघालय,	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड सेइंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड: (क)श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी): 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 50 मिनट अथवा हिंदी में 65 मिनट। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के

	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा
	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	सकती है।
	के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	
	जिले और चंबा जिले के पांगी	
	उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा	
	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की	
	गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)	
	नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग	
	के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के	
	अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से	
	पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	` '	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग -अध्यक्ष; 2. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 3. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

क्रम	पद का	पदों की	वर्गीकरण	पे-बैंड,	चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों	सीधी भर्ती के लिए
संख्या	नाम	संख्या		ग्रेड-पे या	या	के लिए आयु सीमा	अपेक्षितशैक्षिक और अन्य
				वेतनमान	गैर-		अर्हताएँ
					चयन		
	(4)	(0)	(0)	(4)	पद (5)	(0)	(7)
	(1) प्रचार	(2)	(3) सामान्य	(4)	(5)	(6)	
20.	्रवार अधिकारी	7*(2016)	नितानान्य केंद्रीय सेवा	पे-बैंड-2	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से
	-1191111	*(कार्यभार	समूह 'ख'	(रु.		(सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।	पत्रकारिता में डिप्लोमा सहित
		के आधार पर	अननुसचिवीय अननुसचिवीय	9300-		खादी और ग्रामोद्योग आयोग	 स्नातक डिग्री; या
		। पर परिवर्तन		34800)		के कर्मचारियों के लिए कोई	   (ii) पत्रकारिता में स्नातक
		किया जा		एवं ग्रेड-		आयु सीमा नहीं)	डिग्री ;और
		सकता है)		पे रु.		नोट 1: आयु सीमा अवधारित	(iii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में
				4200		करने के लिए निर्णायक	(III) किसा प्राताष्ठत संगठन म प्रकाशन/संपादकीय प्रूफ
						तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	्रिकाराग्याच्याच्यूक रीडिंग/ लेखन/समाचार सामग्री
						आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख	का सम्पादन/हिंदी से अंग्रेजी
						होगी। (असम, मेघालय,	एवं विलोमत:
						अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	अनुवाद/समाचार सामग्री की रूपरेखा तैयार करने का तीन
						मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	रूपरखा तयार करन का तान वर्ष का अनुभव। या
						सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	(i) किसी मान्यताप्राप्त
						**	विश्वविद्यालय से किसी भी
						के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	विषय में स्नातक डिग्री और
						प्रदश के लाहाल आर स्पात   जिले और चंबा जिले के पांगी	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से
						उपखंड, अंडमान और	फोटोग्राफी अथवा माइक्रो-
						निकोबार द्वीप समूह तथा	फोटोग्राफी में डिप्लोमा (जिसकी अवधि कम से कम 06
						लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के	माह होनी चाहिए)
						अभ्यर्थियों के लिए विहित की	(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में
						गयी अंतिम तारीख को	। ` ′ फोटो डेवलपिंग और प्रिंटिंग में
						छोड़कर) <b>नोट 2</b> : आयु छूट का लाभ	तीन वर्ष का अनुभव।
						खादी और ग्रामोद्योग आयोग	या
						के केवल उन्हीं कर्मचारियों को	(i) किसी मान्यता प्राप्त
						मिलेगा जो इन नियमों के	विश्वविद्यालय/संस्थान से
						अधीन शामिल किसी पद पर	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्रीया पुस्तकालय विज्ञान में
						इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	ि डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री;
						पूर्व खोदा आर ग्रामाञ्चाग   आयोग में नियुक्त थे।	्राड्यामा साहस स्नासका वर्षा, और
						<b>3</b>	॰ः।
							पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम
							में तीन वर्ष का अनुभव
							या
							(i) किसी मान्यताप्राप्त
							विश्वविद्यालय/संस्थान से
							मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक
							डिग्री/डिप्लोमा (तीन  वर्ष की अवधि) और
							(ii) किसी प्रकाशन गृह में कार्य
							करने का तीन  वर्ष का अनुभव
L	l	<u> </u>	<u>I</u>	I	I	<u> </u>	

				और किसी प्रतिष्ठित संगठन में
				पत्रिका मुद्रण तथा प्रकाशन का
				ज्ञान; या
				(i) किसी मान्यताप्राप्त
				विश्वविद्यालय से अप्लाइड
				आर्ट में स्नातक डिग्री अथवा
				किसी मान्यताप्राप्त
				विश्वविद्यालय/संस्थान से
				अप्लाइड/ कमर्शियल आर्ट्स (03) वर्ष की अवधि) में
				डिप्लोमा; और
				(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में
				कलाकृति की डिजाइंन तैयार
				करना और ग्राफिक,
				फोटोग्राफिक, लेटर प्रेस के
				माध्यम से ब्लॉक बनाने हेतु
				रिप्रोडक़शन, सिनेमा, स्लाइड,
				डिस्प्ले, ब्लॉक बनाने, साइट
				सेटिंग, प्रदर्शनी आदि
				आयोजित करने संबंधी तीन
				वर्ष का अनुभव।
				वांछनीय:
				कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष रूप
				से फॉटोशॉप/कोरल ड्रॉ/
				इल्स्ट्रेटर/ मल्टीमीडिया/क्वार्क एक्सप्रेस का ज्ञान
				नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
				सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
				में सक्षम प्राधिकारी के
				विवेकानुसार शिथिल की जा
				सकती है।
				नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता
				(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
				विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
				जातिया आर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के
				मामले में तब शिथिल की जा
				सकती है, जब चयन के किसी
				प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
				यह राय है कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों को भरने के
				लिए अपेक्षित अनुभव रखने
				वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
				उपलब्ध होने की संभावना
				नहीं है।
 •	•		•	

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 25%प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोचितिः प्रचार सहायक-। के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके विरष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलत है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति सिमिति  1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रचार), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य  3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उपसिचव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और  5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

 		1	
(क	i)(i) जो नियमित आधार पर		
सर	<b>इ</b> श्य पद धारण किए हुए हों ; या		
(ii	) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-		
20	)200)    एवं ग्रेड-पे रु.    2800  में		
	, , इपर छ: वर्ष की नियमित सेवा की		
हो	; या		
`	, i) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-		
•	)200) एवं ग्रेड-पे रु.  2400 में		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	; और		
	,		
	ा) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)		
	विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।		
	ट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि		
•	ाईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी		
	किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति		
	ठीक पहले धारित किसी अन्य		
	वर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की		
	त्रिध भी शामिल है, साधारणतया न वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	न वष स आधक नहा हागा। तेनियुक्ति (आईएसटीसी) पर		
	युक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा		
	वेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख		
	ī 56  वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	ट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो		
	न्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
	तेनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए		
	चार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
	ट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति		
	न्नति द्वारा  नियुक्ति के लिए विचार ए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
ा १ व	ए जान क पात्र नहा हागा		

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	प्रचार सहायक-I	2*(2016)  *(कार्यभार  के आधार  पर  परिवर्तन  किया जा  सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचि वीय	पे-बैंड-2 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु. 2800	अचय न	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री; या (ii) पत्रकारिता में स्नातक डिग्री; या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अप्लाइड

		आर्ट में स्नातक डिग्री  अथवा
	करने के लिए नियत की	किसी मान्यताप्राप्त
	गयी अंतिम तारीख होगी।	विश्वविद्यालय / संस्थान से
	(असम, मेघालय,	अप्लाइड/ कमर्शियल आर्ट्स
	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	(03) वर्ष की अवधि) में
		डिप्लोमा।
	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	वांछनीय:
	सिक्किम, जम्मू-कश्मीर	कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष
	राज्य के लद्दाख खंड,	रूप से फॉटोशॉप/कोरल ड्रॉ
	हिमाचल प्रदेश के लाहौल	/इल्स्ट्रेटर/ मल्टीमीडिया/क्वार्क
	और स्पीति जिले और चंबा	एक्सप्रेस का ज्ञान
	जिले के पांगी उपखंड,	<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ, अन्यथा
	अंडमान और निकोबार	सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले
	द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप	में सक्षम प्राधिकारी के
	संघ राज्य क्षेत्रों के	विवेकानुसार शिथिल की जा
	अभ्यर्थियों के लिए विहित	सकती है।
	की गयी अंतिम तारीख को	
	छोड़कर)	
	<b>नोट 2</b> : आयु छूट का लाभ	
	खादी और ग्रामोद्योग	
	आयोग के केवल उन्हीं	
	कर्मचारियों को मिलेगा जो	
	इन नियमों के अधीन	
	शामिल किसी पद पर इन	
	नियमों की अधिसूचना से	
	पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	
	आयोग में नियुक्त थे।	

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता		(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलत है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा के प्रतिनियुक्ति पर	प्रोन्नति: प्रचार सहायक-॥ के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग- अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रचार), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य	लागू नहीं होता

स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी किन्हीं परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या
- (ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अविध (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा

- 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और
- 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख	
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

_			1	T			
क्रम	पद का	पदों की	वर्गीकरण	पे-बैंड,	चयन	सीधी भर्ती वाले	सीधी भर्ती के लिए
संख्या	नाम	संख्या		ग्रेड-पे या	या	उम्मीदवारों के लिए आयु	अपेक्षितशैक्षिक और अन्य
				वेतनमान	गैर-	सीमा	अर्हताएँ
					चयन		
					पद		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	प्रचार सहाय-	1*(2016)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह	पे-बैंड-1 (रु.	लागू नहीं।	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के	(i) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित किसी मान्यता
	II T	*(कार्यभार के आधार	'ग'अननुसचिवीय	5200-		लिए 40 वर्ष तक	प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से
		पर		20200)		शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के	बारहवीं उत्तीर्ण;और
		परिवर्तन किया जा		एवं ग्रेड-		ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई	(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन के
		सकता है)		पे रु. 1900		आयु सीमा नहीं)	पुस्तकालय में दो  वर्ष का अनुभव; या
				1900		नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए	जनुनय, या (i) किसी मान्यता प्राप्त
						निर्णायक तारीख भारत में	विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से
						अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	पत्रकारिता में डिप्लोमा;या
						करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अप्लाइड/ कमर्शियल आर्ट्स
						,	अप्लाइड/ कमारायल आट्स   (03) वर्ष की अवधि) में
						(असम, मेघालय, अरुणाचल	(७७ वय का अवाद्य) स डिप्लोमा।
						प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	वांछनीय:
						जम्मू-कश्मीर राज्य के	कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष रूप से फॉटोशॉप/कोरल ड्रॉ
						लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश	/इल्स्ट्रेटर/ मल्टीमीडिया/क्वार्क
						के लाहौल और स्पीति जिले	एक्सप्रेस का ज्ञान
						और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और	नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
						उपखड, अडमान आर   निकोबार द्वीप समूह तथा	सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के
						लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के	विवेकानुसार शिथिल की जा
						अभ्यर्थियों के लिए विहित	सकती है।
						की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)	नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के
						नोट <b>2</b> : आयु छूट का लाभ	विवेकानुसार अनुसूचित
						खादी और ग्रामोद्योग	जातियों और अनुसूचित
						आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो	जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा
						इन नियमों के अधीन	सकती है, जब चयन के किसी
						शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
	]					ागपमा का आधसूषमा स	

			पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	यह राय है कि उनके लिए
			आयोग में नियुक्त थे।	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
				लिए अपेक्षित अनुभव रखने
				वाले उन समुदायों के
				अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
				उपलब्ध होने की संभावना
				नहीं है।

क्या सीधी	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति:	9	यदि विभागीय प्रोन्नति	_
भर्ती के लिए	अवधि, यदि	सीधी भर्ती	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां,	समिति है, तो उसकी	किन
विहित आयु	कोई हो	याप्रोन्नतिद्वारा या	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	संरचना	परिस्थितियों
और शैक्षिक		आमेलन द्वारा और	आमेलन किया जाएगा		में संघ लोक
अर्हताएँ		विभिन्न पद्धतियों	•		सेवा आयोग
प्रोन्नति के		द्वारा भरी जाने			से परामर्श
मामले में		वाली रिक्तियों का			किया
लागू होंगी		प्रतिशत			जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं
होता		भर्ती द्वारा।		लिए समूह 'ग'	होता
				विभागीय प्रोन्नति	
				समिति	
				1. उप मुख्य कार्यपालक	
				अधिकारी, खादी और	
				ग्रामोद्योग आयोग-	
				अध्यक्ष;	
				2. निदेशक (प्रचार),	
				खादी और ग्रामोद्योग	
				आयोग-सदस्य	
				3. दो अधिकारी	
				जिनका स्तर सहायक	
				निदेशक ग्रेड-1 से कम	
				नहीं होगा- सदस्य; और	
				4. निदेशक (प्रशासन	
				और मानव संसाधन),	
				खादी और ग्रामोद्योग	
				आयोग-संयोजक	

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	पद (5)	(6)	(7)
23.	प्रबन्धक- सह- लेखाकार	1*(2016) *(कार्यभार के आधार	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक	(i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ संस्थान सेहोटल/आतिथ्य

पर	20200)	शिथिलनीय। खादी और	प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा
परिवर्तन	· ·	ग्रामोद्योग आयोग के	और
किया जा	एवं	कर्मचारियों के लिए कोई	(ii) संबद्ध क्षेत्र में 03
	ग्रेड-पे	आयु सीमा नहीं)	* *
सकता है)	₹.	- '	वर्षकाअनुभव।
	2400	G G	<b>नोट 1</b> : अर्हताएँ, अन्यथा
		अवधारित करने के लिए	सुअर्हित अभ्यर्थियों के
		निर्णायक तारीख भारत में	मामले में सक्षम प्राधिकारी के
		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	विवेकानुसार शिथिल की जा
		करने के लिए नियत की	सकती है।
		गयी अंतिम तारीख होगी।	<b>नोट</b> 2: अनुभव संबंधी अर्हता
		(असम, मेघालय,	(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी
		अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	के विवेकानुसार अनुसूचित
		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	जातियों और अनुसूचित
			जनजातियों के अभ्यर्थियों के
		सिक्किम, जम्मू-कश्मीर	मामले में तब शिथिल की जा
		राज्य के लद्दाख खंड,	सकती है, जब चयन के किसी
		हिमाचल प्रदेश के लाहौल	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी
		और स्पीति जिले और चंबा	की यह राय है कि उनके लिए
		जिले के पांगी उपखंड,	आरक्षित रिक्तियों को भरने
		अंडमान और निकोबार	के लिए अपेक्षित अनुभव
		द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप	रखने वाले उन समुदायों के
		संघ राज्य क्षेत्रों के	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		अभ्यर्थियों के लिए विहित	उपलब्ध होने की संभावना
		की गयी अंतिम तारीख को	नहीं है।
		छोड़कर)	
		नोट 2: आयु छूट का लाभ	
		खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग के केवल उन्हीं	
		कर्मचारियों को मिलेगा जो	
		इन नियमों के अधीन	
		शामिल किसी पद पर इन	
		नियमों की अधिसूचना से	
		पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग में नियुक्त थे।	
	<u> </u>		

क्या सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति: सीधी	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
भर्ती के	की अवधि,	भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां,	समिति है, तो उसकी	किन
लिए विहित	यदि कोई	आमेलन द्वारा और	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	संरचना	परिस्थितियों
आयु और	हो	विभिन्न पद्धतियों द्वारा	आमेलन किया जाएगा		में संघ लोक
शैक्षिक	`	भरी जाने वाली रिक्तियों	,		सेवा आयोग
अर्हताएँ		का प्रतिशत			से परामर्श
प्रोन्नति के					किया
मामले में					जाएगा
लागू होंगी					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती	(10) (i) प्रोन्नति द्वारा;	(11) प्रोन्नति:	(12) पुष्टि पर विचार करने	(13) लागू नहीं
	सीधी भर्ती के लिए दो	• , ,	` '	पुष्टि पर विचार करने	
लागू नहीं	सीधी भर्ती	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर	प्रोन्नति:	पुष्टि पर विचार करने	लागू नहीं
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर	<b>प्रोन्नति:</b> सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर के	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग'	लागू नहीं
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो	(i) प्रोन्निति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा,	प्रोन्नति: सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु.	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं

जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा। **नोट**:पदधारी प्रतिनियक्ति स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी किन्हीं परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के में अधिकारियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नित के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित हेतु अपने किनष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;

- निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य
- 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और
- 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक

(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7)
में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।
<b>नोट 1</b> : प्रतिनियुक्ति की अवधि
(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी
या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति
से ठीक पहले धारित किसी अन्य
संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि भी शामिल है, साधारणतया
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	सहायक प्रबन्धक- सह- स्टोर की पर	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंवा जिले के पांगी उपखंड,	प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ संस्थान से होटल/आतिथ्य प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा और नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के

			द्वीप समूह तथा संघ राज्य क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए की गयी अंतिम ता छोड़कर) नोट 2: आयु छूट व खादी और ग्रा आयोग के केवल कर्मचारियों को मिल	मों के विहित रीख को मा लाभ मोद्योग उन्हीं तेगा जो अधीन पर इन चना से मोद्योग	
क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा। नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/ स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोक्ततिः लिपिक के पद पर संबन्धित ग्रेड में पे- बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड- पे रु. 1900 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे किनष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने किनष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो: और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार

F	I		_~~		I	-0.0222	-4.4 2 7 7
क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	लिपिक -	3*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड- पे रु. 1900	नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा उत्तीर्ण); या (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ संस्थान से होटल/आतिथ्य प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा और नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	अवधि, यदि	सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या		समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
,,,	(0)		(44)	(12)	जाएगा (13)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं
होता		भर्ती द्वारा।		लिए समूह 'ग'	होता

		विभागीय प्रोन्न	ते
		समिति :	
		1. उप मुख्य कार्यका	ਹੈ
		अधिकारी, खादी औ	र
		ग्रामोद्योग आयोग	т-
		अध्यक्ष;	
		2. निदेशक (संपर	रा
		और सेवा), खादी औ	र
		ग्रामोद्योग आयोग	т-
		सदस्य	
		3. दो अधिका	ਹੈ
		जिनका स्तर सहाय	
		निदेशक ग्रेड-1 से क	म
		नहीं होगा- सदस्य; औ	र
		4. निदेशक (प्रशास	न
		और मानव संसाधन	),
		खादी और ग्रामोद्यो	ग
		आयोग-संयोजक	

क्रम संख्या	पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
26.	(1) मुख्य रसोइया	(2)  1*(2016)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	(4) पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400	(5)	(6)  27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड,	(7)  (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीणी);और  (ii) पाक-कलामें निपुणता सहित तीन वर्ष का अनुभव।  नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय

			4 4 4
		अंडमान और निकोबार	
		द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप	आरक्षित रिक्तियों को
		संघ राज्य क्षेत्रों के	भरने के लिए अपेक्षित
		अभ्यर्थियों के लिए विहित	अनुभव रखने वाले उन
		की गयी अंतिम तारीख को	समुदायों के अभ्यर्थियों
		छोड़कर)	के पर्याप्त संख्या में
		नोट 2: आयु छूट का लाभ	उपलब्ध होने की
		खादी और ग्रामोद्योग	संभावना नहीं है।
		आयोग के केवल उन्हीं	
		कर्मचारियों को मिलेगा जो	
		इन नियमों के अधीन	
		शामिल किसी पद पर इन	
		नियमों की अधिसूचना से	
		पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग में नियुक्त थे।	

भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नित द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा। नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से	प्रोम्नितः हलवाई-सह-रसोइया के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्निति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्निति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।

प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सद्श्य पद धारण किए हुए हों ; या
- (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;

और

(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो

नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार	
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम     पद का     पदों की     वर्गीकरण     पे-बैंड,     चयन     सीधी     भर्ती     वाल       संख्या     नाम     संख्या     ग्रेड-पेया     या     उम्मीदवारों के लिए आख्रा       वेतनमान     गैर-     चयन       पद	अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(7)
विश्व है- श्लार्यभार स्वेद्धिय सेवा समूह श्लार्यभार सेवा सेवा समूह श्लार्यभार सेवा सेवा समूह श्लार्यभार सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा	से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) पाक-कला में निपुणता सहित दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)		
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा। नोट:पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोक्तिः सहायक हलवाई-सह-रसोइया के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सिमिति   1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;  2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य  3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और  4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	नहीं होता

	सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी	
	निकायों के ऐसे अधिकारी;	
	(क)(i) जो नियमित आधार पर	
	सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या	
	(i) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-	
	20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में	
	 पद पर तीन  वर्ष की नियमित सेवा	
	की हो; या	
	(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु.	
	5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु.	
	1800 में पद पर पांच  वर्ष की	
	नियमित सेवा की हो;	
	और	
	(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ	
	(7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते	
	हों।	
	नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	
	(आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी	
	या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति	
	से ठीक पहले धारित किसी अन्य	
	संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
	अवधि भी शामिल है, साधारणतया	
	तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम	
	तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी।	
	नोट 2: ऐसे विभागीय अधिकारी	
	जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	नोट 3: इसी प्रकार प्रतिनियुक्त	
	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए	
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

क्रम	पद का	पदों की	वर्गीकरण	पे-बैंड,	चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों	सीधी भर्ती के लिए
संख्या	नाम	संख्या		ग्रेड-पे या	या	के लिए आयु सीमा	अपेक्षितशैक्षिक और अन्य
				वेतनमान	गैर-		अर्हताएँ
					चयन		
					पद		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	सहायक	3*(2016)	सामान्य	पे-बैंड-1	लागू	25 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड
	हलवाई-	*(कार्यभार	केंद्रीय सेवा समूह	(रु.	नहीं।	(सरकारी कर्मचारियों के लिए	से मेट्रिक (10वीं कक्षा
	सह-	के आधार	'ग'अननुसचिवीय	5200-		40 वर्ष तक शिथिलनीय	उत्तीर्ण); और
	रसोइया	पर		20200)		खादी और ग्रामोद्योग आयोग	(ii) पाक-कला में निपुणता

परिवर्तन	एवं ग्रेड-	के कर्मचारियों के लिए कोई	सहित एक   वर्ष अनुभव।
किया जा	पे रु.	आयु सीमा नहीं)	नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा
सकता है)	1900	नोट 1: आयु सीमा अवधारित	सुअर्हित अभ्यर्थियों के
		करने के लिए निर्णायक	मामले में सक्षम प्राधिकारी के
		तारीख भारत में अभ्यर्थियों	विवेकानुसार शिथिल की जा
		से आवेदन प्राप्त करने के लिए	सकती है।
		नियत की गयी अंतिम तारीख	<b>नोट</b> 2: अनुभव संबंधी अर्हता
		होगी। (असम, मेघालय,	(अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी
		अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	के विवेकानुसार अनुसूचित
		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	जातियों और अनुसूचित
			जनजातियों के अभ्यर्थियों के
		सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य	मामले में तब शिथिल की जा
		के लद्दाख खंड, हिमाचल	सकती है, जब चयन के किसी
		प्रदेश के लाहौल और स्पीति	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी
		जिले और चंबा जिले के पांगी	की यह राय है कि उनके लिए
		उपखंड, अंडमान और	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		निकोबार द्वीप समूह तथा	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
		लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की	उपलब्ध होने की संभावना
		गयी अंतिम तारीख को	नहीं है।
		छोड़कर)	.6.6.
		नोट 2 आयु छूट का लाभ	
		खादी और ग्रामोद्योग आयोग	
		के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के	
		अधीन शामिल किसी पद पर	
		इन नियमों की अधिसूचना से	
		पूर्व खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग में नियुक्त थे।	
<u> </u>	<u> </u>	1	

क्या सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति:	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
भर्ती के लिए	की अवधि,	सीधी भर्ती	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां,	समिति है, तो उसकी	किन
विहित आयु	यदि कोई हो	याप्रोन्नतिद्वारा या	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	संरचना	परिस्थितियों
और शैक्षिक		आमेलन द्वारा और	आमेलन किया जाएगा		में संघ लोक
अर्हताएँ		विभिन्न पद्धतियों	,		सेवा आयोग
प्रोन्नति के		द्वारा भरी जाने			से परामर्श
मामले में		वाली रिक्तियों का			किया जाएगा
लागू होंगी		प्रतिशत			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने	लागू नहीं
होता		भर्ती द्वारा।		के लिए समूह 'ग'	होता
				विभागीय प्रोन्नति	
				समिति :	
				1. उप मुख्य कार्यकारी	
				अधिकारी, खादी और	
				ग्रामोद्योग आयोग-	
				अध्यक्ष;	
				2. निदेशक (संपदा	
				और सेवा), खादी और	
				ग्रामोद्योग आयोग-	

		सदस्य
		3. दो अधिकारी
		जिनका स्तर सहायक
		निदेशक ग्रेड-1 से कम
		नहीं होगा- सदस्य; और
		नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन
		और मानव संसाधन),
		खादी और ग्रामोद्योग
		आयोग-संयोजक

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	कैंटीन परिचर	8*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200- 20200) ग्रेड-पे रु. 1800	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  नोट 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) नोट 2: आयु छूट का लाभ खादी और	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) चाय/कॉफी बनाने में निपुणता सहित एक वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

		ग्रामोद्योग आयोग के	
		केवल उन्हीं कर्मचारियों	
		को मिलेगा जो इन	
		नियमों के अधीन शामिल	
		किसी पद पर इन नियमों	
		की अधिसूचना से पूर्व	
		खादी और ग्रामोद्योग	
		आयोग में नियुक्त थे।	

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती याप्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती	लागू नहीं।	पृष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा-सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018(11)/5/2015-केवीआई-पी]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2016

- G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 and section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 and in supersession of the erstwhile Ministry of Industry, Khadi and Village Industries Commission, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'A', 'B', and 'C' posts in the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter in these rules referred to as the Commission), namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission Group 'A', 'B', and 'C' posts Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale**. The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**-The method of recruitment to the said posts, age limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Initial constitution. (1) Group 'A', 'B' and 'C' officers and staff namely Joint Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Director, Deputy Director, Civil Engineer, Senior Hindi Officer, Assistant Director, Senior Scientific Officer, Accounts Officer, Research Officer, Senior Personal Assistant, Economic Officer, Hindi Officer, Law Officer, Superintendent, Caretaker, Stenographer (Selection Grade), Stenographer-I, Senior Hindi Translator, Sub Editor, Photographer, Librarian, Printing Manager, Senior Artist, Lecturer, Accountant, Development Officer, Economic Investigator, Legal Assistant, Junior Hindi Translator, Junior Sub Editor, Artist, Assistant Lecturer, Auditor-I, Auditor-II, Assistant Development Officer, Upper Division Clerk, Head Cook, Stenographer-II, Supervisor-II, Supervisor-III, Manager, Lower Division Clerk, Driver, Cook, Library Assistant, Artisan, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Cook, Assistant Manager, Halwai, Tea Maker, Bearer, Multi Tasking Staff working on regular establishment in the Commission on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly appointed to the corresponding posts which they were holding on regular basis on that date.
- (2) The inter-se seniority of officials who are appointed at the initial constitution shall be determined as per the date of their regular appointment to respective grades subject to the condition that their inter-se seniority within their respective grades shall not be disturbed.
- (3) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) prior to their appointment at the initial constitution under these rules, shall count for the purpose of probation period, the qualifying service for promotion, confirmation and pension.
- **6. Liability to serve throughout India.** Any person appointed under the provisions of these rules shall be liable to serve anywhere in India.
- **7. Liability to undergo training.** (1) Any person appointed under the provisions of these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India as the Commission may decide from time to time.
- (2) Any person detailed for training or course, the duration of which is six months or more or any person detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the expenses or cost of training, if for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he opts to discontinue his service.
- **8. Disqualification**. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **9. Power to relax**. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 10. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1.	Joint Chief Executive Officer	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non- Ministerial	Pay Band 4 (Rupees 37400- 67000) with Grade Pay of Rupees 8900	(5) Selection.	Not exceeding fifty years (relaxable upto fifty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or (ii) Chartered Accountant; or (iii) Masters degree in any subject from a recognised University; or (iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and (v) twenty years' experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill; up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in
apply in the					making recruitment
promotees					recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.	Promotion: Deputy Chief Executive Officers in Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8700 with two years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises  Chairman; 2. Officer of Ministry of Micro,	Not applicable.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.

eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation Including Short Term Contract (ISTC):

Officers of the Central Government/State Government/ Statutory Authorities/Autonomous Bodies:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8700; or
- (iii) with six years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600; or
- (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600; and
- (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).

Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member;

- 3. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener; 4. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission
- Member;
  5. Two officers of the level of Joint Secretary to Government of India Members.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
2.	Chief Executive	*(Subject to	Central Service	Band 4 (Rupees	Selection.	upto fifty five years for Government servants. No age limit for employees	Engineering/Bachelor of Technology from a recognised
2.		` 3		(4) Pay Band 4	(5) Selection.		
						Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is
						in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	One year	(i) By promotion;	Promotion:	Group 'A' Departmental	Not
applicable.	for direct recruits.	failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous	Directors in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of	Promotion Committee for considering confirmation:  1. Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Chairman;  2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member;  3. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener;  4. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;  5. Two officers of the level of Joint Chief Executive Officer – Members.	applicable.

Bodies.	computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	
	Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600; or (iii) with seven years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) or Pay Band 3 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees	
	(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

S1.	Name	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	of the	post		band,	selection		qualification required for direct
	post			grade	or non-		recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Director	44*(2016)	General	Pay	Selection.	Not exceeding fifty years (relaxable	(i) Bachelor of
		*(Subject	Central	Band-3		upto fifty five years for Government	Engineering/Bachelor of
		to	Service	(Rupees		servants. No age limit for employees	Technology from a recognised
		variation	Group 'A'	15600-		of Khadi and Village Industries	University; or
		dependent	Non-	39100)		Commission.)	(ii) Chartered Accountant; or
		on	Ministerial	with		Note 1: The crucial date for	(iii) Masters degree in any

sufficient number of candidate from these community possessing the requirements of the community possessing the comm	workload	Grade Pay of Rupees 7600	determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	subject from a recognised University; or (iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and (v) Twelve years' experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that
			who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post	Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	(9) One year for direct recruits.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Deputy Directors in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the Pay	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Director – Member;  4. Two officers not below the level of Deputy Chief Executive Officer – Members; and  5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

		Commission.	T.	
		Commission.		
		Deputation Including Short Term		
		Contract (ISTC):		
		Officers of the Central		
		Government/State		
		Government/Statutory		
		Authorities/Autonomous Bodies;		
		(a) (i) holding analogous posts on		
		regular basis; or		
		(ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-		
		39100) with Grade Pay of Rupees		
		6600; or		
		(iii) with seven years' regular service		
		in a post in Pay Band 3 (Rupees		
		15600-39100) or Pay Band 2 (Rupees		
		9300-34800) with Grade Pay of		
		Rupees 5400; or		
		(iv) with ten years' regular service in		
		a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-		
		34800) with Grade Pay of Rupees		
		4800; and (b) possessing the educational		
		qualifications as prescribed for direct		
		recruits in column (7).		
		Teerana in column (/).		
		Note 1: The period of deputation		
		(ISTC), including the period of		
		deputation held against another ex-		
		cadre post immediately preceding		
		this appointment in the same or some		
		other organisation shall not ordinarily		
		exceed three years. The maximum age limit for appointment by		
		deputation (ISTC) shall be not		
		exceeding fifty six years as on the		
		closing date of receipt of application.		
		g and a state of the state of		
		Note 2: The departmental officers in		
		the feeder category who are in the		
		direct line of promotion shall not be		
		eligible for consideration for		
		appointment on deputation.		
		Note 3: Similarly, the deputationists		
		shall not be eligible for consideration		
		for appointment by promotion.		
l I	L	appointment of promotion.	1	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Deputy Director	43*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non- Ministerial	Pay Band 3 (Rupees 15600- 39100) with Grade Pay of Rupees 6600	Selection.	Not exceeding forty years (relaxable upto forty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or (ii) Chartered Accountant; or (iii) Masters degree in any subject from a recognised University; or (iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and (v) Ten years' experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The benefit of age in respect of employees of Village Industries Commibe available to only those who were appointed in Village Industries Commiss the notification of these rule covered under these rules.	Khadi and ssion shall employees Khadi and cion, before regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled
---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not	(9)	(10) (i) By promotion;	(11) Promotion:	Group 'A' Departmental	(13) Not
applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	(ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	From inter-se seniority of Assistant Director Grade-I in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Director – Member;  4. Two officers not below the level of Director – Members; and  5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener.	applicable.

15400	
5400; or	
(iii) with six years' regular service in	
a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-	
34800) with Grade Pay of Rupees	
4800; or	
(iv) with seven years' regular service	
in a post in Pay Band 2 (Rupees	
9300-34800) with Grade Pay of	
Rupees 4600; or	
(v) with ten years' regular service in	
a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-	
34800) with Grade Pay of Rupees	
4200; and	
(b) possessing the educational	
qualifications as prescribed for direct	
recruits in column (7).	
Note 1: The period of deputation	
(ISTC), including the period of	
deputation held against another ex-	
cadre post immediately preceding	
this appointment in the same or some	
other organisation shall not ordinarily	
exceed three years. The maximum	
age limit for appointment by	
deputation (ISTC) shall be not	
exceeding fifty six years as on the	
closing date of receipt of application.	
Note 2: The departmental officers in	
the feeder category who are in the	
direct line of promotion shall not be	
eligible for consideration for	
appointment on deputation.	
appointment on apparation	
Note 3: Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for consideration	
for appointment by promotion.	
to appointment by promotion.	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Assistant Director Grade-I	*(Cadre-wise allocation: Khadi-7, Village Industries-37, Training-5; Finance, Budget, Audit and Accounts-32; Administration and Human Resources-24, Economic Research-8, and Legal-1. Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Technical	Pay Band 2 (Rupees 9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 5400	Selection.	Not exceeding thirty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these	Cadre-wise required qualifications: (1) Khadi: (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology from a recognised University; and (ii) five years' experience in the relevant field.  (2) Village Industries: (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or Master of Science from a recognised University; or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University; and (ii) five years' experience in the relevant field.  (3) Training: (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a

		rules, to a these rules.	post c	covered und	recognised University, or Master of Science from a recognised University; or
					Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University, and (ii) five years' experience in the relevant field
					Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.
					(4) Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) Chartered Accountant; or (ii) Master of Business Administration (Finance) from a recognised University; or (iii) Master of Commerce from a recognised University; or (ii) three years' experience in the relevant field;
					<ul><li>(5) Administration and Human Resources:</li><li>(i) Masters degree in any subject from a recognised University; and</li></ul>
					(ii) five years' experience in the relevant field;
					(6) Economic Research: (i) Masters degree in Economics/Statistics/Commerce (with Statistics and Economics as a subject) from a recognised University; and (ii) three years experience in the relevant field.
					<ul><li>(7) Legal:</li><li>(i) Master of Law from a recognised University; and</li><li>(ii) three years' experience in the relevant field; or</li></ul>
					(i) Bachelor of Law from a recognised University; and (ii) five years' experience in the relevant field.
					Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
					Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	Cadre-wise:  Khadi, Village Industries, Economic Research, Training, Finance, Budget, Audit and Accounts; and Administration and Human Resources:  (i) 50% - by direct Recruitment;  (ii) 50% - by promotion; failing which  (a) By deputation including short-term contract; failing which  (b) by direct recruitment.  Legal: 100% by promotion.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion (Cadre-wise): Khadi, Village Industries, Economic Research and Legal: Assistant Directors Grade-II in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay Rupees 4600 from respective cadre with three years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>rd</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Training: Finance, Budget, Audit and Accounts, and Administration and Human Resources: Senior Executives in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade of Pay Rupees 4200 from respective cadre with eight years' regular service in the grade.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4800; or (iii) with three years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission — Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission — Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary — Member;  4. Two officers not below the level of Deputy Director — Members; and  5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission — Convener.	Not applicable.

(iv) with eight years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall	
be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

S1.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	the post	post		band,	selection		qualification required for direct
	1	•		grade	or non-		recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale	_		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Assistant	207*(2016)	General	Pay	Selection	Not exceeding thirty years	Cadre-wise qualification
	Director	*(Cadre-	Central	Band 2		(relaxable upto forty years for	required:
	Grade-II	wise	Service	(Rupees		Government servants. No age	(1) Khadi:
		allocation:	Group 'B'	9300-		limit for employees of Khadi	(i) Bachelor of
		Khadi-29,		34800)		and Village Industries	Engineering/Bachelor of
		Village		with		Commission.)	Technology in Textile
		Industries-		Grade			Engineering or Textile
		151,		Pay of		Note 1: The crucial date for	Technology or Fashion
		Economic		Rupees		determining the age limit shall	Technology from a recognised
		Research-		4600		be the closing date for receipt	University; and
		25 and				of application from candidates	(ii) three years experience in the
		Legal-2.				in India (except the closing	relevant field.
		Subject to				date prescribed for those in	
		variation				Assam, Meghalaya, Arunachal	(2) Village Industries:
		dependent				Pradesh, Mizoram, Manipur,	(i) Bachelor of
		on				Nagaland, Tripura, Sikkim,	Engineering/Bachelor of
		workload).				Ladakh Division of Jammu	Technology from a recognised
						and Kashmir State, Lahaul and	University; or
						Spiti Districts and Pangi Sub	Master of Science from a
						Division of Chamba district of	recognised University; or
						Himachal Pradesh, Andaman	Master of Business
						and Nicobar Islands and	Administration with Bachelor of
						Lakshadweep).	Science from a recognised
							University; and
						Note 2: The benefit of age	(ii) three years' experience in the
						relaxation in respect of	relevant field.
						employees of Khadi and	
						Village Industries	(3) Economic Research:
						Commission shall be available	Master degree in
						to only those employees who	Economics/Statistics/Commerce
						were appointed in Khadi and	(with Statistics and Economics as
						Village Industries	a subject) from a recognised
						Commission, before the	University.

	l		ı	ı		
					notification of these rules, to a	
					post covered under these rules.	(4) Legal:
					*	(i) Bachelor of Law from a
						recognised University; and
						(ii) three years' experience in the
						relevant field.
						Note 1: Qualifications are
						relaxable at the discretion of the
						Competent Authority in the case
						of candidates otherwise well
						qualified.
						1
l						Note 2: The qualification(s)
						regarding experience is relaxable
						at the discretion of the Competent
						Authority in the case of
						candidates belonging to
						Scheduled Castes or Scheduled
						Tribes if at any stage of selection
						the Competent Authority is of the
						opinion that sufficient number of
						candidates from these
						1
						requisite experience are not likely
						to be available to fill up the
						vacancy reserved for them.
						•
	l	1	ll			

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and *promotees.  *Applicable only to Khadi and Village Industries Cadres.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Cadre-wise Promotion: Khadi and Village Industries: Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay Rupees 2800 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;  4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and  5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

	extended based on the recommendations of the Pay Commission.	
	Economic Research and Legal: Senior Executives Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 from respective cadre with five years' regular service in the grade.	
	Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7). Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or	
	some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment of appointment by promotion.	

S1. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Senior	230*(2016)	General	Pay	Selection.	Not exceeding thirty years	Cadre-wise required
	Executive		Central	Band 2		(relaxable upto forty years for	qualifications:
		*(Cadre-wise	Service	(Rupees		Government servants. No age	(1) Training:
		allocation:	Group 'B'	9300-		limit for employees of Khadi	Bachelor of
		Training-20;	Technical	34800)		and Village Industries	Engineering/Bachelor of
		Finance,		with		Commission.)	Technology from a recognised
		Budget, Audit		Grade			University; or
		and Accounts-		Pay of		Note 1: The crucial date for	
		64;		Rupees		determining the age limit shall	Master of Science from a

	Administration		4200	be the closing date for receipt of	recognised University;
	and Human			application from candidates in	or
	Resources-98,			India (except the closing date	Master of Business
	Economic			prescribed for those in Assam,	Administration with Bachelor
	Research-40			Meghalaya, Arunachal Pradesh,	of Science from a recognised
	and Legal-8.			Mizoram, Manipur, Nagaland,	University; and
	Subject to			Tripura, Sikkim, Ladakh	(ii) three years' experience in
	variation			Division of Jammu and Kashmir	the relevant field.
	dependent on			State, Lahaul and Spiti Districts	
	workload).			and Pangi Sub Division of	Desirable:
				Chamba district of Himachal	Certificate Course of at least
				Pradesh, Andaman and Nicobar	three months' duration from a
				Islands and Lakshadweep).	Departmental Training Centre
				Note 2. The bounds of one	of Khadi and Village Industries Commission.
				Note 2: The benefit of age relaxation in respect of	Commission.
				employees of Khadi and Village	(2) Finance, Budget, Audit and
				Industries Commission shall be	Accounts:
				available to only those	(i) Chartered Accountant; or
				employees who were appointed	Master of Business
				in Khadi and Village Industries	Administration (Finance) from
				Commission, before the	a recognised University; or
				notification of these rules, to a	Master of Commerce from a
				post covered under these rules.	recognised University; and
					(ii) three years' experience in
					the relevant field.
					(2) Administration and H-
					(3) Administration and Human Resources:
					Masters' Degree of a recognised
					University or equivalent; and
					(ii) one year experience in the
					relevant field.
					(4) Economic Research:
					Master degree in
					Economics/Statistics/Commerce
					(with Statistics and Economics
					as a subject) from a recognised
					University.
					(5) Lagal:
					(5) Legal: Bachelor of Law from a
					recognised University.
					recognised Oniversity.
					Note 1: Qualifications are
					relaxable at the discretion of the
					Competent Authority in the case
					of candidates otherwise well
					qualified.
					Note 2: The qualification(s)
					regarding experience is
					relaxable at the discretion of the
					Competent Authority in the case
					of candidates belonging to
					Scheduled Castes or Scheduled
					Tribes if at any stage of selection the Competent
					selection the Competent Authority is of the opinion that
					sufficient number of candidates
					from these communities
					possessing the requisite
					experience are not likely to be
					available to fill up the vacancy
					reserved for them.
		J	•		

Whether age	Period of	Method of recruitment:	In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	probation,	Whether by direct	or deputation or absorption, grades	Committee exists what is its	in which
educational	if any	recruitment or by	from which promotion, absorption or	composition	Union Public

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation to be made		Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	Cadre-wise: Training; Finance, Budget, Audit and Accounts; and Administration and Human Resources: (i) 100% by promotion; failing which (ii) by deputation (including short-term contract); failing which (iii) by direct recruitment.  Economic Research and Legal: 100% by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/Statucory Authorities/Autonomous Bodies.	Cadre-wise promotion: Training; and Finance, Budget, Audit and Accounts: Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800 from respective cadre with six years' regular service in the grade.  Administration and Human Resources: Junior Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/Statu Grade Pay of Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;  4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and  5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

deputation held against another ex-	
cadre post immediately preceding	
this appointment in the same or some	
other organisation shall not	
ordinarily exceed three years. The	
maximum age limit for appointment	
by deputation (ISTC) shall be not	
exceeding fifty six years as on the	
closing date of receipt of application.	
closing date of receipt of application.	
N . 2 TH 1 1 CC	
Note 2: The departmental officers in	
the feeder category who are in the	
eligible for consideration for	
appointment on deputation.	
Note 3: Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for consideration	
for appointment by promotion.	
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration	

-	l .	•			11	it by promotion.	
Sl.	Name	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	of the post	post		band, grade pay or pay	selection or non- selection post		qualification required for direct recruits
				scale	•		
8.	(1) Executive	(2) 479*(2016)	(3) General	(4) Pay	(5) Selection.	(6) 18-27 years (relaxable upto thirty three	(7) Cadre-wise required
	LACCULAVE	*(Cadrewise allocation: Khadi-89, Village Industries-272, Training-38 and Finance, Budget, Audit and Accounts-80. Subject to variation dependent on workload).	Central Service Group 'C' Technical	Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800	Schedoli	years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	qualifications: (1) Khadi: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology from a recognised University.  (2) Village Industries: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University, or Master of Science from a recognised University, or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University.  (3) Training: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University, or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University, or Master of Science from a recognised University, or Master of Science from a recognised University, or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University.  Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.  (4) Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) Bachelor of Commerce from a recognised University; and (ii) three years' experience in

		the relevant field.
		Desirable: Chartered Accountant/Cost and Management Accountant/Master of Business Administration (Finance)/Master of Commerce from a recognised University.
		Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of
		the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the
		requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Cadre-wise:  Khadi, and Village Industries: (i) 85% - by direct Recruitment; (ii) 15% - by promotion; failing which (a) by deputation including short-term contract; Failing which (b) by direct recruitment.  Training: (i) 60% By direct recruitment; And (ii) 40% by promotion; failing which (a) by deputation (including short-term contract); failing which (b) by direct recruitment.  Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) by promotion;	Cadre-wise promotion:  Khadi, Village Industries, and Finance, Budget, Audit and Accounts: Junior Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 from respective cadre with five years' regular service in the grade.  Training: Assistants in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Pay Rupees 1900 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

r	6 :::		
	failing which	juniors who have already completed	
	(ii) by deputation	such qualifying/eligibility service.	
	(including short-term		
	contract);	Note 2: For the purpose of	
	failing which	computing minimum qualifying	
	(ii) by direct	service for promotion, the service	
	recruitment.	rendered on a regular basis by an	
	recruitment.	officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or	
	Note: Vacancies caused	the date from which the revised pay	
	by the incumbent being	structure based on the Sixth Central	
	away on deputation or	Pay Commission recommendations	
	long illness or study	has been extended, shall be deemed	
	leave or under other	to be service rendered in the	
	circumstances for a	corresponding pay/pay scale	
	duration of one year or	extended based on the	
	more may be filled on	recommendations of the Pay	
	deputation basis from	Commission.	
]	officers of the Central	Deputation Including Short Term	
]	Government/State	Contract (ISTC):	
	Government/Statutory	Officers of the Central	
]	Authorities/Autonomous	Government/State Government/	
]	Bodies.	Statutory Authorities/Autonomous	
1	1	Bodies:	
		(i) holding analogous posts on	
		regular basis; or	
		(ii) with five years' regular service in	
		a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-	
		20200) with Grade Pay of Rupees	
		2400; or	
		(iii) with ten years' regular service in	
		a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-	
		20200) with Grade Pay of Rupees	
		1900; and	
		*	
		(b) possessing the educational	
		qualifications as prescribed for direct	
		recruits for the respective cadres in	
		column (7).	
]	1	Note 1: The period of deputation	
		(ISTC), including the period of	
		deputation held against another ex-	
		cadre post immediately preceding	
	1	this appointment in the same or some	
		other organisation shall not ordinarily	
		exceed three years. The maximum	
	1	age limit for appointment by	
	1		
	1	deputation (ISTC) shall be not	
	1	exceeding fifty six years as on the	
	1	closing date of receipt of application.	
		Note 2: The departmental officers in	
		the feeder category who are in the	
	1	direct line of promotion shall not be	
	1	eligible for consideration for	
		appointment on deputation.	
	1	*	
		Note 3: Similarly, the deputationists	
	1	shall not be eligible for consideration	
]	1	for appointment by promotion.	
	1	тот арропшист оу ртошоноп.	

Sl.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other	
No.	the post	post		band,	selection		qualification required for	
				grade	or non-		direct recruits	
				pay or	selection			
				pay	post			
				scale				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9.	Junior	414*(2016)	General	Pay	Non-	18-27 years (relaxable upto forty	Cadre-wise required	
	Executive		Central	Band 1	selection.	years for Government servants.	qualifications:	
		*(Khadi-16;	Service	(Rupees		No age limit for employees of		
		Village	Group 'C'	5200-		Khadi and Village Industries	(1) Khadi:	
		Industries-51;	Technical	20200)		Commission.)	Diploma in Textile	
		Finance,		with			Engineering or Textile	
		Budget, Audit		Grade		Note 1: The crucial date for	Technology or Fashion	
		and Accounts-		Pay of		determining the age limit shall be	Technology or Handloom	
		76; and		Rupees		the closing date for receipt of	Technology from a recognised	
		Administration		2400		application from candidates in	University/Board/Institute.	
		and Human				India (except the closing date	•	

Resources - 271. Subject to variation dependent on workload.		prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(2) Village Industries: Diploma in Engineering or Bachelor of Science from a recognised University/Board/Institute.  (3) Finance, Budget, Audit and Accounts: Bachelor of Commerce from a recognised University.
		Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	Desirable: Chartered Accountant/Cost and Management Accountant/Master of Business Administration (Finance)/Master of Commerce from a recognised University.  (4) Administration and Human
			Resources:  (a) (i) Masters' Degree of a recognised University or equivalent; or  (ii) degree of a recognised University or equivalent; and  (b) three years' experience in the relevant field.
			Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
			Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the
Whether age   Period of   Meth	od of recruitment : I	cruitment by promotion or If a	requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in
the case of					making
promotees					recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Cadre-wise:	Cadre-wise promotion:	Group 'C'	Not
applicable.	for direct		Khadi, Village Industries, and	Departmental	applicable.
	recruits.	Khadi, and Village	Administration and Human Resources:	Promotion	
		Industries:	Assistants in Pay Band 1 (Rupees 5200-	Committee for	
		(i) by promotion;	20200) and Grade Pay Rupees 1900 from	considering	
		failing which	respective cadre with eight years' regular	confirmation:	
		(ii) by deputation (including	service in the grade.	<ol> <li>Deputy Chief</li> </ol>	
		short-term contract);	Note 1: Where juniors who have	Executive Officer,	
		failing which	completed their qualifying or eligibility	Khadi and Village	
		(iii) by direct recruitment.	service are being considered for	Industries	
			promotion, their senior would also be	Commission –	
		Finance, Budget, Audit and	considered provided they are not short of	Chairman;	
		Accounts:	the requisite qualifying or eligibility	<ol><li>Director</li></ol>	
		100% by direct recruitment.	service by more than half of such	(respective cadre	
			qualifying /eligibility service or two years,	incharge), Khadi	
		Administration and Human	whichever is less and have successfully	and Village	

Resources:	completed their probation period for	Industries	
(i) 50% by direct	promotion to the next higher grade along	Commission –	
recruitment;	with their juniors who have already	Member;	
(ii) 50% by promotion	completed such qualifying/eligibility	3. Two officers not	
failing which by deputation	service.	below the level of	
(including short-term	Note 2: For the purpose of computing	Assistant Director	
contract);	minimum qualifying service for	Grade-I – Member;	
failing which by direct	promotion, the service rendered on a	and	
recruitment.	regular basis by an officer prior to 1st	<ol> <li>Director</li> </ol>	
	January, 2006 or the date from which the	(Administration and	
Note: Vacancies caused by	revised pay structure based on the Sixth	Human Resources),	
the incumbent being away	Central Pay Commission	Khadi and Village	
on deputation or long illness	recommendations has been extended, shall	Industries	
or study leave or under other	be deemed to be service rendered in the	Commission -	
circumstances for a duration	corresponding pay/pay scale extended	Convener.	
of one year or more may be	based on the recommendations of the Pay		
filled on deputation basis	Commission.		
from officers of the Central	Deputation Including Short Term Contract		
Government/State	(ISTC):		
Government/Statutory	Officials of the Central Government/State		
Authorities/Autonomous	Government/Statutory		
Bodies.	Authorities/Autonomous Bodies:		
	(i) holding analogous posts on regular		
	basis; or		
	(ii) with five years' regular service in a		
	post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200)		
	and Grade Pay Rupees 1900; and		
	(b) possessing the educational		
	qualifications as prescribed for direct		
	recruits for the respective cadres in column		
	(7).		
	Note 1: The period of deputation (ISTC),		
	including the period of deputation held		
	against another ex-cadre post immediately		
	preceding this appointment in the same or some other organisation shall not		
	ordinarily exceed three years. The		
	maximum age limit for appointment by		
	deputation (ISTC) shall be not exceeding		
	fifty six years as on the closing date of		
	receipt of application.		
	Note 2: The departmental officers in the		
	feeder category who are in the direct line		
	of promotion shall not be eligible for		
	consideration for appointment on		
	deputation.		
	Note 3: Similarly, the deputationists shall		
	not be eligible for consideration for		
<u> </u>	appointment by promotion.		
	appointment by promotion.		

~ .							
S1.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	the post	post		band,	selection		qualification required for direct
				grade	or non-		recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Assistant	264*(2016)	General	Pay	Not	18-27 years (relaxable upto	Cadre-wise required
			Central	Band 1	applicable.	forty years for Government	qualification:
		*(Cadre-wise	Service	(Rupees		servants. No age limit for	(1) Khadi:
		allocation:	Group 'C'	5200-		employees of Khadi and Village	Diploma in Textile
		Khadi-15,	Technical	20200)		Industries Commission.)	Engineering or Textile
		Village		with			Technology or Fashion
		Industries-58,		Grade		Note 1: The crucial date for	Technology or Handloom
		Training-18;		Pay of		determining the age limit shall	Technology from a recognised
		and		Rupees		be the closing date for receipt of	University/Board/Institute.
		Administration		1900		application from candidates in	
		and Human				India (except the closing date	(2) Village Industries:
		Resources-				prescribed for those in Assam,	Diploma in Engineering or
		173. Subject to				Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Bachelor of Science from a
		variation				Mizoram, Manipur, Nagaland,	recognised
		dependent on				Tripura, Sikkim, Ladakh	University/Board/Institute.
		workload).				Division of Jammu and Kashmir	om versity, Board, matrice.
		workload).				State, Lahaul and Spiti Districts	(3) Training:
						and Pangi Sub Division of	` /
						and rangi sub Division of	Diploma in Engineering or

						Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	Bachelor of Science from a recognised University/Board/Institute. Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.  (4) Administration and Human Resources: (i) XIIth Class or equivalent qualification from a recognised Board or University; and (ii) A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer. (35 word per minute and 30 word per minute and 30 word per minute correspond to 10500 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word.)  Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
--	--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Cadre-wise:  Khadi, Village Industries and Training: 100% by direct recruitment.  Administration and Human Resources: (i) 85% by direct recruitment; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst Multi Tasking Staff who possess XIIth Class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years of age for Scheduled Caste/	Cadre-wise promotion: Administration and Human Resources: As prescribed in column 10.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission — Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission — Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I — Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission — Convener.	Not applicable.

Scheduled Tribe).	
Note:- If more of	
such employees	
than the number of	
vacancies available	
under clause (ii)	
qualifies at the	
examination, such	
excess number of	
employees shall be	
considered for	
filling the vacancies	
arising in the	
subsequent years so	
that the employees	
qualifying at an	
earlier examination	
are considered	
before those who	
qualify at a later	
examination.	
and	
(iii) 5% of the	
vacancies shall be	
filled on seniority-	
cum-fitness basis	
from amongst the	
Multi Tasking Staff	
who have rendered	
three years' regular	
service.	

S1.	Name	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	of the	post		band,	selection or		qualification required for
	post			grade	non-		direct recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Multi	183*(2016)	General	Pay	Not	18-25 years (relaxable upto forty years	Matriculation or equivalent
	Tasking	*(Subject	Central	Band 1	Applicable.	for Government servants)	pass; or
	Staff	to variation	Service	(Rupees			Industrial Training Institute
		dependent	Group 'C'	5200-		Note 1: The crucial date for	pass in the relevant subject.
		on	Non	20200)		determining the age limit shall be the	
		workload).	Ministerial	with		closing date for receipt of application	Note : Qualifications are
				Grade		from candidates in India (except the	relaxable at the discretion of
				Pay of		closing date prescribed for those in	the Competent Authority in
				Rupees		Assam, Meghalaya, Arunachal	the case of candidates
				1800		Pradesh, Mizoram, Manipur,	otherwise well qualified.
						Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
						Division of Jammu and Kashmir State,	
						Lahaul and Spiti Districts and Pangi	
						Sub Division of Chamba district of	
						Himachal Pradesh, Andaman and	
						Nicobar Islands and Lakshadweep).	
						•	
						Note 2: The benefit of age relaxation	
						in respect of employees of Khadi and	
						Village Industries Commission shall	
						be available to only those employees	
						who were appointed in Khadi and	
						Village Industries Commission, before	
						the notification of these rules, to a post	
						covered under these rules.	

Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	probation,	recruitment :	deputation or absorption, grades from	Committee exists what is its	in which
educational	if any	Whether by	which promotion, absorption or	composition	Union Public
qualifications	-	direct	deputation to be made		Service
prescribed		recruitment or			Commission
for direct		by promotion or			is to be
recruits will		absorption and			consulted in
apply in the		percentage of			making
case of		the vacancies to			recruitment

promotees		be filled by various methods			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	\ /	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and	Not applicable.
				4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
12.	(1) Staff Car Driver	(2) 60*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	(3) General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not Applicable.	18 - 25 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in Xth standard.  Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age	Period of	Method o	of	In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	probation,	recruitment	:	deputation or absorption, grades from	Committee exists what is its	in which
educational	if any	Whether by	у	which promotion, absorption or	composition	Union Public
qualifications	-	direct		deputation to be made	_	Service
prescribed		recruitment of	r			Commission
for direct		by promotion of	or			is to be
recruits will		absorption and	d			consulted in

apply in the case of promotees		percentage of the vacancies to be filled by various methods			making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

S1.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	the post	post		band, grade pay or pay scale	selection or non- selection post	Age mile for direct recturs	qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Deputy Director (Official Language)	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non- Ministerial	Pay Band 3 (Rupees 15600- 39100) with Grade Pay of Rupees 6600	Selection.	Not exceeding forty years (relaxable upto forty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and  (ii) Five years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work

										versa, prefera or scientific Central/State Autonomous Organisations, PSUs/Univers recognised educational in Five years' teaching in Hi or research	research or research or stitutions; or experience of indi and English in Hindi or er Central/State Autonomous y  / PSUs/ or recognised
										other than Hi the eighth s Constitution a a recognised H Note 1: Qu relaxable at t the Competer	he discretion of nt Authority in of candidates
										Note 2: The regarding or relaxable at the Competent the case belonging Castes or Sch at any stage Competent Au opinion that stopinion the stopinion that sto	qualification(s) experience is he discretion of nt Authority in of candidates to Scheduled eduled Tribes if of selection the athority is of the ufficient number es from these possessing the erience are not vailable to fill up reserved for
Whether age and educational qualification prescribed for direc recruits wil apply in the case o promotees	probation if any	on, Where control on the control on	ethod of recruitm nether by d ruitment or motion or absorp d percentage of cancies to be fille ious methods	by ption the	absorp	otion, gra	, ,,	on or deputation or thich promotion, de	Pro Cor exis	a partmental imotion mmittee sts what is its inposition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8) Not applicable.	(9) Two years.	dep shot correction cass fee Ass: (Or hel or a faill (ii) rec	fficial Language d by a direct re a promote); ling which	(in the of ector ector ector) is ceruit	Official Govern Bodies (a) (i) I (ii) wit Band (Rupee 5400; c (iii) wi Band 2 Rupees (iv) wi Pay Ba of Rup (v) wit	als of nment/States: holding and the three year 3 (Rupees 9300-34 or ith five year 2 (Rupees 4800; or ith seven year de the year 4600; the ten year the year	the Central utory Author Autho	Contract (ISTC): Government/State rrities/Autonomous regular basis; or ice in a post in Pay or Pay Band 2 de Pay of Rupees ce in a post in Pay with Grade Pay of ervice in a post in ) with Grade Pay or in a post in Pay with Grade Pay or in a post in Pay with Grade Pay or in a post in Pay with Grade Pay of	Pro Con con 1. Exe Off and Ind Con 2. Adand	partmental protion mittee for asidering affirmation: Chief ecutive ficer, Khadi Village ustries mmission Chairman; Financial visor, Khadi	Not applicable.

away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Rupees 4200; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: Departmental Officers namely Assistant Director (Official Language) in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) and Grade Pay of Rupees 5400 with five years' regular service in that grade shall also be considered along with outside candidates and if selected for appointment to the post, shall be treated as having been filled by promotion.  Note 2: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	not below the level of Director  – Members; and 5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission
		– Convener.

S1.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	the post	post		Pay band, grade pay or pay scale	selection or non- selection post		qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Assistant Director (Official Language)	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Non- Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 5400	Selection.	Not exceeding Thirty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) Three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-

		versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ Public Sector Units/Universities or recognised research or educational institutions; or Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State
		Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ Public Sector Units/Universities or recognised research or educational institutions.
		Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth schedule of the Constitution at Xth level from a recognised Board.
		Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
		Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not
		likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

and	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
applicable.	Two years for direct recruits.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on	Promotion: Senior Translators in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 with eight years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Deputy Director (Official Langauge), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;  4. Two officers not below the level of Deputy Director – Members; and	Not applicable.

deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	
	Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or (iii) with eight years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 4200; and		
	(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be		
	eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and o qualification required direct recruits	other for
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
15.	Senior	3*(2016)	General	Pay	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable	(i) Masters degree of	f a

		variation dependent on workload).	Group 'B', Non-Ministerial	9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 4200		or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or Hadi and the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium on, before
--	--	-----------------------------------	----------------------------	---	--	---

Whether age	Period of	Method of recruitment:	In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	probation,	Whether by direct	or deputation or absorption, grades	Committee exists what is its	in which
educational	if any	recruitment or by	from which promotion, absorption or	composition	Union Public

1:£:t:			demotation to be used.		Camina
qualifications prescribed		promotion or absorption and percentage of the	deputation to be made		Service Commission
for direct		vacancies to be filled by			is to be
recruits will		various methods			consulted in
apply in the					making
case of					recruitment
promotees (8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) By promotion;	Promotion:	Group 'B' Departmental	Not
applicable.	years for	failing which	Junior Translators in Pay Band 2	Promotion Committee for	applicable.
	direct	(ii) by deputation	(Rupees 9300-34800) with Grade Pay	considering confirmation:	
	recruits.	including short-term contract;	of Rupees 4200 with five years' regular service in the grade.	1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village	
		failing which	regular service in the grade.	Industries Commission –	
		(iii) by direct	Note 1: Where juniors who have	Chairman;	
		recruitment.	completed their qualifying or eligibility service are being	2. Deputy Director (Official Language), Khadi and Village	
		Note: Vacancies caused	considered for promotion, their	Industries Commission –	
		by the incumbent being	senior would also be considered	Member;	
		away on deputation or	provided they are not short of the	3. Officer of Ministry of Micro,	
		long illness or study leave or under other	requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Small and Medium Enterprises not below the level of Under	
		circumstances for a	qualifying /eligibility service or two	Secretary – Member;	
		duration of one year or	years, whichever is less and have	4. Two officers not below the	
		more may be filled on	successfully completed their	level of Assistant Director	
		deputation basis from officers of the Central	probation period for promotion to the next higher grade along with their	Grade-I – Members; and  5. Director (Administration	
		Government/State	juniors who have already completed	and Human Resources), Khadi	
		Government/Statutory	such qualifying/eligibility service.	and Human Resources), Knadi and Village Industries	
		Authorities/Autonomous Bodies.	Note 2: For the purpose of	Commission – Convener.	
		Bodies.	computing minimum qualifying		
			service for promotion, the service		
			rendered on a regular basis by an		
			officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay		
			structure based on the Sixth Central		
			Pay Commission recommendations		
			has been extended, shall be deemed		
			to be service rendered in the corresponding pay/pay scale		
			extended based on the		
			recommendations of the Pay		
			Commission.		
			Deputation Including Short Term		
			Contract (ISTC):		
			Officials of the Central		
			Government/State		
			Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies;		
			(a) (i) holding analogous posts on		
			regular basis; or		
			(ii) with six years' regular service in		
			a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees		
			2800; or		
			(iii) with ten years' regular service in		
			a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees		
			2400; and		
			(b) possessing the educational		
			qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in		
			column (7).		
			. ,		
			Note 1: The period of deputation		
			(ISTC) including the period of deputation held against another ex-		
			cadre post immediately preceding		
			this appointment in the same or some		
			other organisation shall not ordinarily		
			exceed three years. The maximum age limit for appointment by		
			deputation (ISTC) shall be not		
			exceeding fifty six years as on the		

closing date of receipt of application.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

	ı	ı		101	ирропшиси	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	
SI. No.	(1) Junior Translator	(2) 12*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	(3) General Central Service Group 'B', Non- Ministerial	Pay band, grade pay or pay scale (4) Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Whether selection or non-selection post  (5) Selection.	(6)  Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of	Educational and other qualification required for direct recruits  (7)  (a) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium
						Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (b) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government, including Government of India Undertaking.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

		regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up
		them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Deputy Director (Official Language), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;  4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and  5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	Private Secretary	3*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 4600	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti	(i) Graduate in any discipline from a recognised University; (ii) Skill test norms: (a) Dictation (English/Hindi): 10 minutes @ 100 word per minute (b) Transcription (on Computer): 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi); and (iii) three years' experience in stenography and Computer operation.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well

 1				
			Districts and Pangi Sub Division of	qualified.
			Chamba district of Himachal	1
			Pradesh, Andaman and Nicobar	Note 2: The qualification(s)
			Islands and Lakshadweep).	regarding experience is relaxable
			_	at the discretion of the
			Note 2: The benefit of age relaxation	Competent Authority in the case
			in respect of employees of Khadi	of candidates belonging to
			and Village Industries Commission	Scheduled Castes or Scheduled
			shall be available to only those	
			employees who were appointed in	the Competent Authority is of
			Khadi and Village Industries	the opinion that sufficient
			Commission, before the notification	number of candidates from these
			of these rules, to a post covered	communities possessing the
			under these rules.	requisite experience are not
				likely to be available to fill up
				the vacancy reserved for them.
				_

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Personal Assistant in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission — Chairman;  2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary — Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I — Members; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission — Convener.	Not applicable.

4200	1
4200; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or (iv) with twelve years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and	
(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).	
Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Personal Assistant	22*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Passed Intermediate (XIIth class) examination from a recognised Board; (ii) Skill test norms: (a) Dictation (English/Hindi): 10 minutes @ 100 word per minute (b) Transcription (on Computer): 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi); and (iii) three years' experience in stenography and Computer operation.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Solve 2: The qualification of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these

		requisite of	es possessing texperience are re available to fill	not
		the vacar them.		

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Stenographer Grade D in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 with ten years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>8</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2400; and  (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission — Chairman;  2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary — Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I — Members; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission — Convener.	Not applicable.

column (7).	
Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Sl.	Name of the	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	post	post		band,	selection or		qualification required for
	_			grade	non-		direct recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Stenographer	48*(2016)	General	Pay	Not	Not exceeding twenty five years	(i) Passed Intermediate
	Grade D	*(Subject	Central	Band 1	Applicable.	(relaxable upto forty years for	(XIIth class) examination
		to	Service	(Rupees		Government servants. No age limit	from a recognised Board;
		variation	Group 'C'	5200-		for employees of Khadi and Village	(ii) Skill test norms:
		dependent	Ministerial	20200)		Industries Commission.)	(a) Dictation (English/
		on		with			Hindi): 10 minutes @ 80
		workload).		Grade		Note 1: The crucial date for	word per minute
				Pay of		determining the age limit shall be	(b) Transcription (on
				Rupees		the closing date for receipt of	Computer): 50 minutes
				2400		application from candidates in India	(English) or 65 minutes
						(except the closing date prescribed	(Hindi).
						for those in Assam, Meghalaya,	37
						Arunachal Pradesh, Mizoram,	Note : Qualifications are
						Manipur, Nagaland, Tripura,	relaxable at the discretion
						Sikkim, Ladakh Division of Jammu	of the Competent Authority
						and Kashmir State, Lahaul and Spiti	in the case of candidates
						Districts and Pangi Sub-Division of	otherwise well qualified.
						Chamba district of Himachal	
						Pradesh, Andaman and Nicobar	
						Islands and Lakshadweep).	
						Note 2: The benefit of age relaxation	
						in respect of employees of Khadi	
						and Village Industries Commission	
						shall be available to only those	
						employees who were appointed in	
						Khadi and Village Industries	
						Commission, before the notification	
						of these rules, to a post covered	
						under these rules.	

Whether age	Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	probation,	recruitment :	deputation or absorption, grades from	Committee exists what is its	in which
educational	if any	Whether by	which promotion, absorption or	composition	Union Public
qualifications		direct	deputation to be made		Service
prescribed		recruitment or			Commission
for direct		by promotion or			is to be
recruits will		absorption and			consulted in
apply in the		percentage of			making
case of		the vacancies to			recruitment
promotees		be filled by			
		various methods			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	` /	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Two officers not below the level	Not applicable.
				of Assistant Director Grade-I – Member; and 3. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	

SI. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	Publicity Officer	7*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non- Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300- 34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Bachelors degree with Diploma in Journalism from a recognised University/Board/Institution; or (ii) Bachelors degree in Journalism; and (iii) Three years' experience in publication/editorial proof reading/writing of articles/to edit news items/translation of Hindi to English and vise versa/to prepare the layout of news items in any organisation of repute;  or  (i) Bachelors degree in any discipline from a recognised University with diploma in Photography or Microphotography (at least six months' duration) from a recognised Institute; and (ii) Three years' experience in photo developing and printing in any reputed organization;  or  (i) Bachelors degree in Library science or a graduate with diploma in Library Science from a recognised University/Institute; and (ii) Three years experience in a Library or reading room in reputed organization;  or  (i) Bachelors degree/diploma in Printing Technology (three years duration) from a recognised University/Institute; and (ii) Three years' experience in a Publication House and knowledge of printing periodical and publication in any reputed organization;  or  (i) Bachelors degree in Applied Art from a recognised University or Diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute; and (ii) Three years' experience in designing and preparation of Art work, graphic, photographic, reproduction for block making through letter press, cinema slides, displays, block making, sight setting, organizing exhibition etc., in any organisation of repute.

				Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/Quark Express.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8) (9)  Not Two applicable. years.	(i) 75% by direct recruitment. (ii) 25% by promotion; failing which (a) by deputation including short-term contract; failing which (b) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Publicity Assistant-I in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800 with six years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC):	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;  4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and  5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

	Officials of the Central Government/State Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of	
	application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classifica- tion	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Publicity Assistant-I	2*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupee s 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 2800	Non- Selection	Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar	(i) Bachelors degree with diploma in Journalism from a recognised University/Board/Institution; or (ii) Bachelors degree in Journalism; or Bachelors degree in Applied Art from a recognised University or diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute.  Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/Quark Express.  Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

 T .	1	1		* 1 1 1 1 1 1 1 1	
				Islands and Lakshadweep).	
				Note 2: The benefit of age	
				relaxation in respect of	
				employees of Khadi and	
				Village Industries	
				Commission shall be	
				available to only those	
				employees who were	
				appointed in Khadi and	
				Village Industries	
				Commission, before the	
				notification of these rules, to	
				a post covered under these	
				rules.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	(i) 50% by direct recruitment, (ii) 50% by Promotion; failing which (a) by deputation including short-term contract; failing which (b) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Publicity Assistant-II in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900 with ten years regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two Officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; and
(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).
Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for applicant by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.
Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.
Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	(1) Publicity Assistant- II	(2) 1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not applicable.	(6)  Between 18 and 25 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a	(i) Passed Intermediate (XIIth standard) from a recognised Board/ University with Diploma in Library Science; and (ii) Two years' experience in a Library of a reputed organisation. or (i) Diploma in Journalism from a recognised University/Board/ Institution; or Diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute.  Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/ Quark Express. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these
						post covered under these rules.	communities possessing the

				requisite experience be available to fill reserved for them.	•
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	Manager- cum- Accountant	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Non-selection.	Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Degree/Diploma in Hotel/Hospitality Management from a government recognised University/Board/Institute; and (ii) three years' experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) by promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/Statucory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Assistant Manager-cum-Storekeeper in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2000 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State G	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.
			(ISTC) including the period of deputation held against another ex-		

cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.  Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Assistant Manager- cum- Storekeeper	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 2000	Non-selection.	Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate0s in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	Essential: Degree/Diploma in Hotel/Hospitality Management from a government recognised University/Board/Institute.  Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
promotees	(0)	(10)	44.40	(2.2)	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) By promotion;	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
applicable.	years for	failing which	Clerks in Pay Band 1 (Rupees 5200-	Promotion Committee for	applicable.

direct recruits. (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies. 20200) with Grade Pay of Rupees 1900 with three years' regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based recommendations of the Pay Commission.

Deputation Including Short Term Contract (ISTC):

Officials of the Central Government/State

Government/Statutory

Authorities/Autonomous Bodies;

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; or
- (iv) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800; and
- (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).

Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

considering confirmation:

- 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;
- 2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;
- 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I Member; and
- Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission

  – Convener.

Sl.	Name	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	of the	post		band,	selection		qualification required for direct
	post			grade	or non-		recruits
	_			pay or	selection		
				pay	post		
				scale	_		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	Clerk	3*(2016)	General	Pay	Not	Not exceeding twenty five years	(i) Intermediate (Passed XIIth
		*(Subject	Central	Band 1	applicable.	(relaxable upto forty years for	Standard) from a recognised
		to	Service	(Rupees		Government servants. No age limit for	Board; or
		variation	Group 'C'	5200-		employees of Khadi and Village	
		dependent	Non-	20200)		Industries Commission.)	(ii) Degree/Diploma in
		on	Ministerial	with			Hotel/Hospitality Management
		workload).		Grade		Note 1: The crucial date for determining	from a government recognised
				Pay of		the age limit shall be the closing date for	University/Board/Institute.
				Rupees		receipt of application from candidates in	·
				1900		India (except the closing date prescribed	Note: Qualifications are
						for those in Assam, Meghalaya,	relaxable at the discretion of
						Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	the Competent Authority in the
						Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	case of candidates otherwise
						Division of Jammu and Kashmir State,	well qualified.
						Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub	1
						Division of Chamba district of Himachal	
						Pradesh, Andaman and Nicobar Islands	
						and Lakshadweep).	
						and Zanishad weep).	
						Note 2: The benefit of age relaxation in	
						respect of employees of Khadi and	
						Village Industries Commission shall be	
						available to only those employees who	
						were appointed in Khadi and Village	
						Industries Commission, before the	
						notification of these rules, to a post	
						covered under these rules.	
L						covered under these fules.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.		Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

S1.	Name	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational	and	other
No.	of the	post		band,	selection		qualification	required f	for direct

	post			grade	or non-		recruits
				pay or	selection		
				pay	post		
				scale			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	Head Cook	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Non-selection.	Not exceeding Twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules,	(i) Matriculation (passed Xth standard) from a recognised Board; and (ii) three years' experience of competence in cooking.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits	(i) by promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Halwai-cum-Cook in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2000 with five years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission — Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission — Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I — Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission — Convener.	Not applicable.

		has been extended, shall be deemed	
		to be service rendered in the	
		corresponding pay/pay scale	
		extended based on the	
		recommendations of the Pay	
		Commission.	
		Deputation Including Short Term	
		Contract (ISTC):	
		Officials of the Central	
		Government/State	
		Government/Statutory	
		Authorities/Autonomous Bodies:	
		(a) (i) holding analogous posts on	
		regular basis; or	
		(ii) with two years' regular service in	
		a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-	
		20200) with Grade Pay of Rupees	
		2000; or	
		(iii) with five years' regular service	
		in a post in Pay Band 1 (Rupees	
		5200-20200) with Grade Pay of	
		Rupees 1900; or	
		(iv) with eight years' regular service	
		in a post in Pay Band 1 (Rupees	
		5200-20200) with Grade Pay of	
		Rupees 1800; and	
		Rupees 1000, and	
		(b) possessing the educational	
		qualifications as prescribed for direct	
		recruits for the respective cadres in	
		column (7).	
		Column (7).	
		Note 1: The period of deputation	
		(ISTC) including the period of	
		deputation held against another ex-	
		cadre post immediately preceding	
		this appointment in the same or some	
		other organisation shall not ordinarily	
		exceed three years. The maximum	
		age limit for appointment by	
		deputation (ISTC) shall be not	
		exceeding fifty six years as on the	
		closing date of receipt of application.	
		closing date of receipt of application.	
		Note 2: The departmental officers in	
		the feeder category who are in the	
		direct line of promotion shall not be	
		eligible for consideration for	
		appointment on deputation.	
		арронинені он першанон.	
		Note 3: Similarly, the deputationists	
		shall not be eligible for consideration	
		for appointment by promotion.	
		Tot appendiction of promotion.	
	l .		

SI. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	Halwai-	1*(2016)	General	Pay	Non-	Not exceeding twenty five years	(i) Matriculation (passed Xth
	cum-	*(Subject	Central	Band 1	selection.	(relaxable upto forty years for	standard) from a recognised
	Cook	to	Service	(Rupees		Government servants. No age limit for	Board; and
		variation	Group 'C'	5200-		employees of Khadi and Village	
		dependent	Non-	20200)		Industries Commission.)	(ii) Two years' experience of
		on	Ministerial	with			competence in cooking.
		workload).		Grade		Note 1: The crucial date for	
				Pay of		determining the age limit shall be the	Note 1: Qualifications are
				Rupees		closing date for receipt of application	relaxable at the discretion of the

		2000	from candidates in India (except the Competent Authority in the ca	
			closing date prescribed for those in of candidates otherwise w	vell
			Assam, Meghalaya, Arunachal qualified.	
			Pradesh, Mizoram, Manipur,	
			Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Note 2: The qualification	ı(s)
			Division of Jammu and Kashmir State, regarding experience is relaxal	ıble
			Lahaul and Spiti Districts and Pangi at the discretion of	the
			Sub Division of Chamba district of Competent Authority in the ca	ase
			Himachal Pradesh, Andaman and of candidates belonging	to
			Nicobar Islands and Lakshadweep). Scheduled Castes or Schedu	iled
			Tribes if at any stage of selecti	ion
			Note 2: The benefit of age relaxation   the Competent Authority is	of
			in respect of employees of Khadi and the opinion that suffici-	ent
			Village Industries Commission shall number of candidates from the	ese
			be available to only those employees communities possessing	the
			who were appointed in Khadi and requisite experience are	not
			Village Industries Commission, before likely to be available to fill	up
			the notification of these rules, to a post the vacancy reserved for them.	١.
			covered under these rules.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) By Promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct Recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook in Pay Band-1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1900 with three years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1900; or (iv) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct	
recruits for the respective cadres in column (7).  Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another excadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.  Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Sl.	Name of	Number of	Classification	Pay	Whether	Age limit for direct recruits	Educational and other
No.	the post	post		band, grade	selection or non-		qualification required for direct recruits
				pay or	selection		uncet rectuits
				pay	post		
				scale	•		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	Assistant	3*(2016)	General	Pay	Not	Not exceeding twenty five years	(i) Matriculation (Passed Xth
	Halwai-	*(Subject	Central	Band 1	applicable.	(relaxable upto forty years for	Standard) from a recognised
	cum-	to	Service	(Rupees		Government servants. No age limit for	Board; and
	Cook	variation dependent	Group 'C' Non-	5200- 20200)		employees of Khadi and Village Industries Commission.)	(ii) one year experience of competence in cooking.
		on	Ministerial	with		ilidustries Collillissioli.)	competence in cooking.
		workload).	Willisterial	Grade		Note 1: The crucial date for	Note 1: Qualifications are
		workioud).		Pay of		determining the age limit shall be the	relaxable at the discretion of
				Rupees		closing date for receipt of application	the Competent Authority in
				1900		from candidates in India (except the	the case of candidates
						closing date prescribed for those in	otherwise well qualified.
						Assam, Meghalaya, Arunachal	
						Pradesh, Mizoram, Manipur,	Note 2: The qualification(s)
						Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	regarding experience is
						Division of Jammu and Kashmir State,	relaxable at the discretion of
						Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of	the Competent Authority in the case of candidates
						Himachal Pradesh, Andaman and	belonging to Scheduled
						Nicobar Islands and Lakshadweep).	Castes or Scheduled Tribes if
						rvicobai Islands and Laksnadweep).	at any stage of selection the
						Note 2: The benefit of age relaxation	Competent Authority is of the
						in respect of employees of Khadi and	opinion that sufficient
						Village Industries Commission shall be	number of candidates from
						available to only those employees who	these communities possessing
						were appointed in Khadi and Village	the requisite experience are
						Industries Commission, before the	not likely to be available to
						notification of these rules, to a post	fill up the vacancy reserved
						covered under these rules.	for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1		various methods			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	100% by direct	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion	Not
applicable.	years.	recruitment.	••	Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;  3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and  4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	Canteen Attendant	8*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200- 20200) with Grade Pay of Rupees 1800	Not applicable.	Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	Essential: (i) Matriculation (Passed Xth Standard) from a recognised Board; and (ii) one year's experience of competence in preparing Tea/Coffee.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age	Period of	Method	of	In case of recruitment	by promotion or	If a	Department	al Promot	ion	Circu	mstances
and	probation,	recruitment	:	deputation or absorption	n, grades from	Commi	ittee exists	what is	its	in	which

educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	which promotion, absorption or deputation to be made	composition	Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	(9) Two years.	(10) 100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:  1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;  2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

[F. No. A-12018(11)/5/2015-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.